



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300395

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :जाखणीधार

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2024090300395 From 16 Feb 2023

31-Jul-2024

11:59:20

Appointment Date: 31 Jul 2024

Appointment Time:12:30 p.m to 01:30 p.m

Appointment TokenNo:1

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :खान्दी -B.4.जाखणीधार-गराकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :खान्दी -B.4.जाखणीधार-गराकोट मोटर मार्ग

Khewat :

Khatoni

:00001 00036

Khasra

:505 508 521 506 507 522

House/Flat No:

Area :3,000.0000 वर्ग मीटर

Latitude

Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Advance :0.00

Lease Period :27.00

Avg. Rent

:5,730.27

Stamp Duty :8,300.00

Regn Fees :4,140.00

Pasting Fees

:100

Page

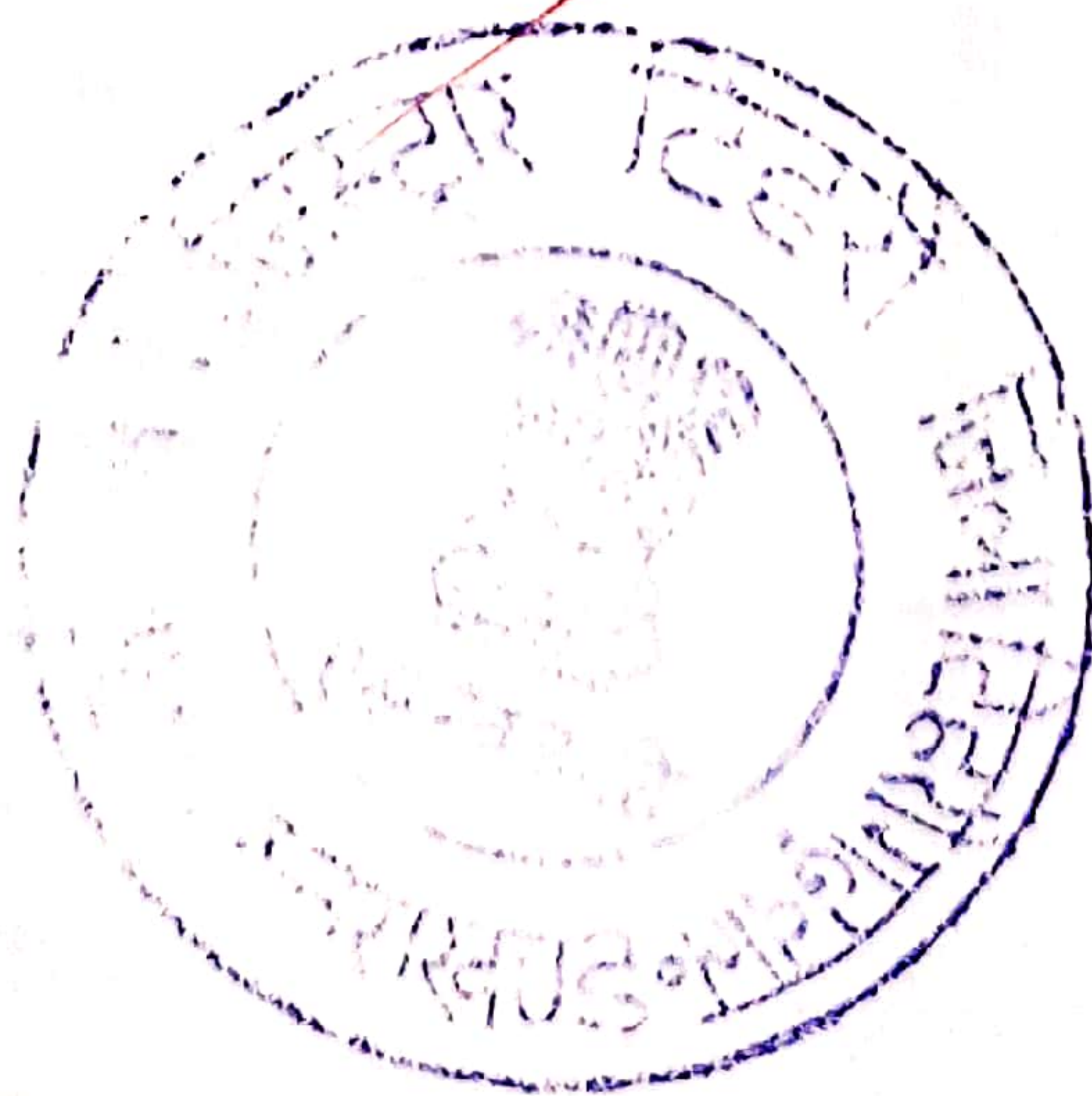
:28

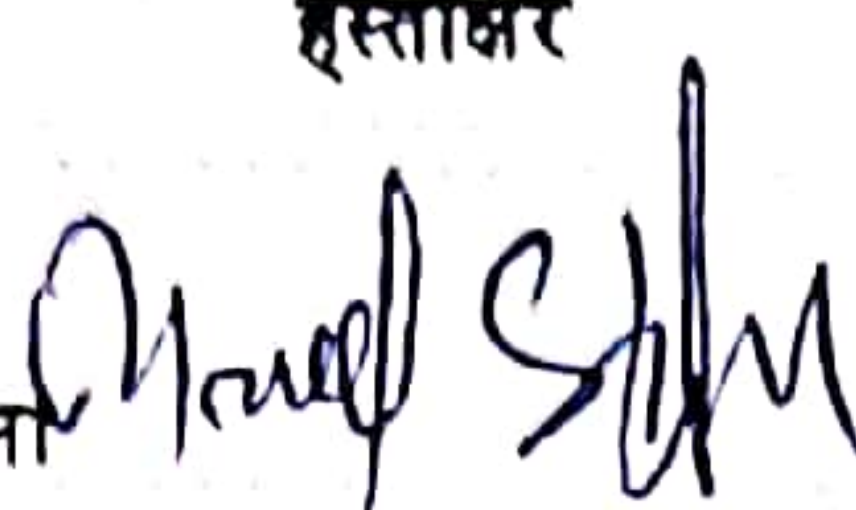
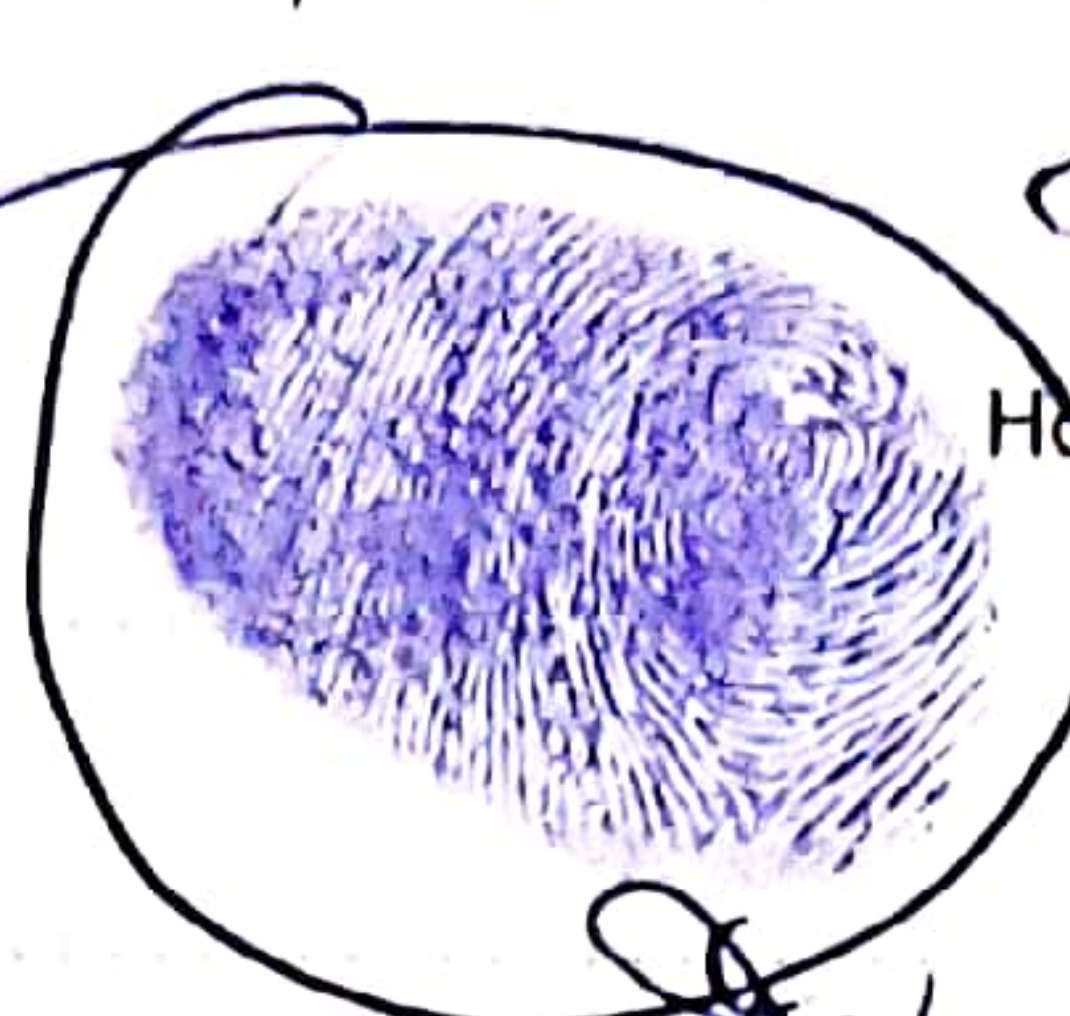
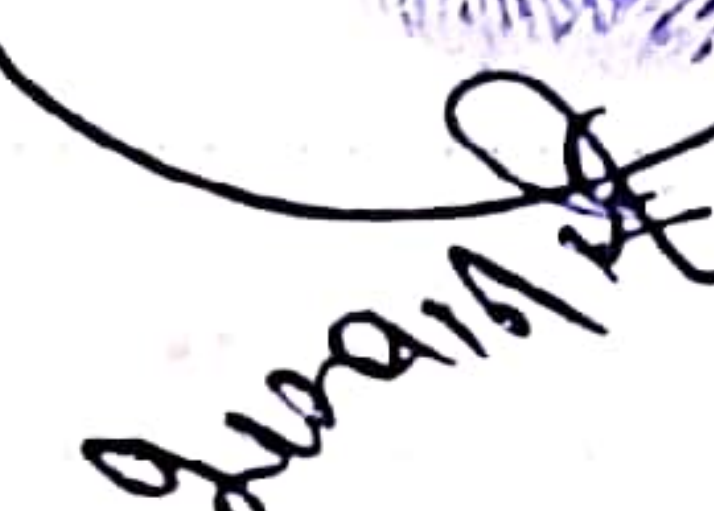
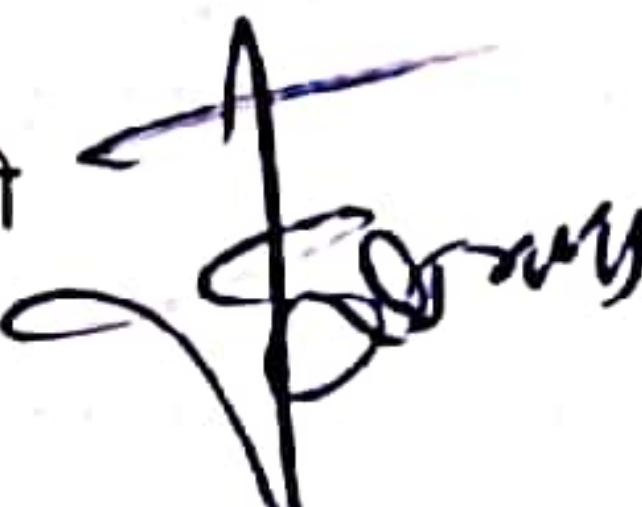
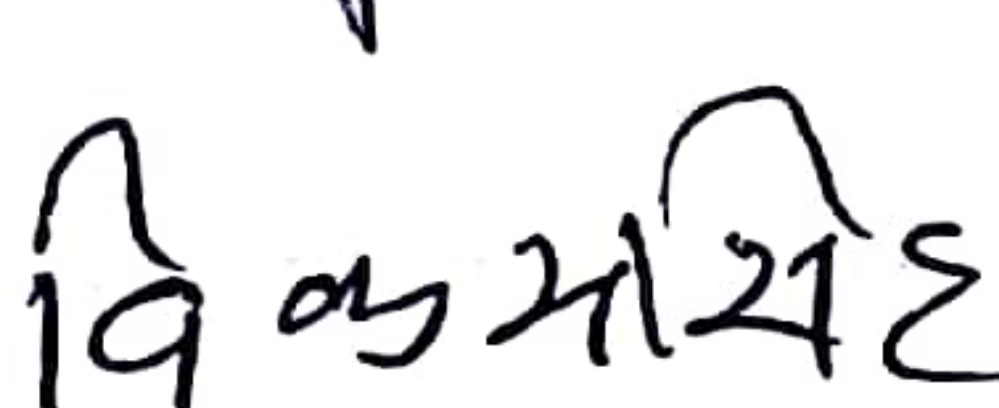
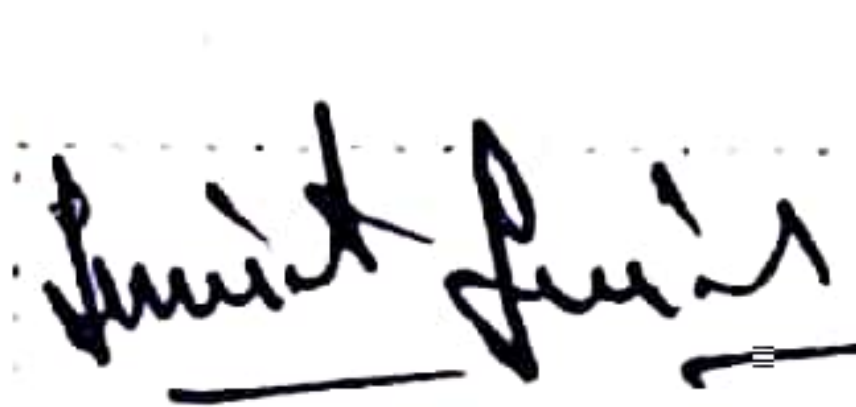
व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र. सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक़ा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	4,140.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	8,300.00	-	31-Jul-2024	15



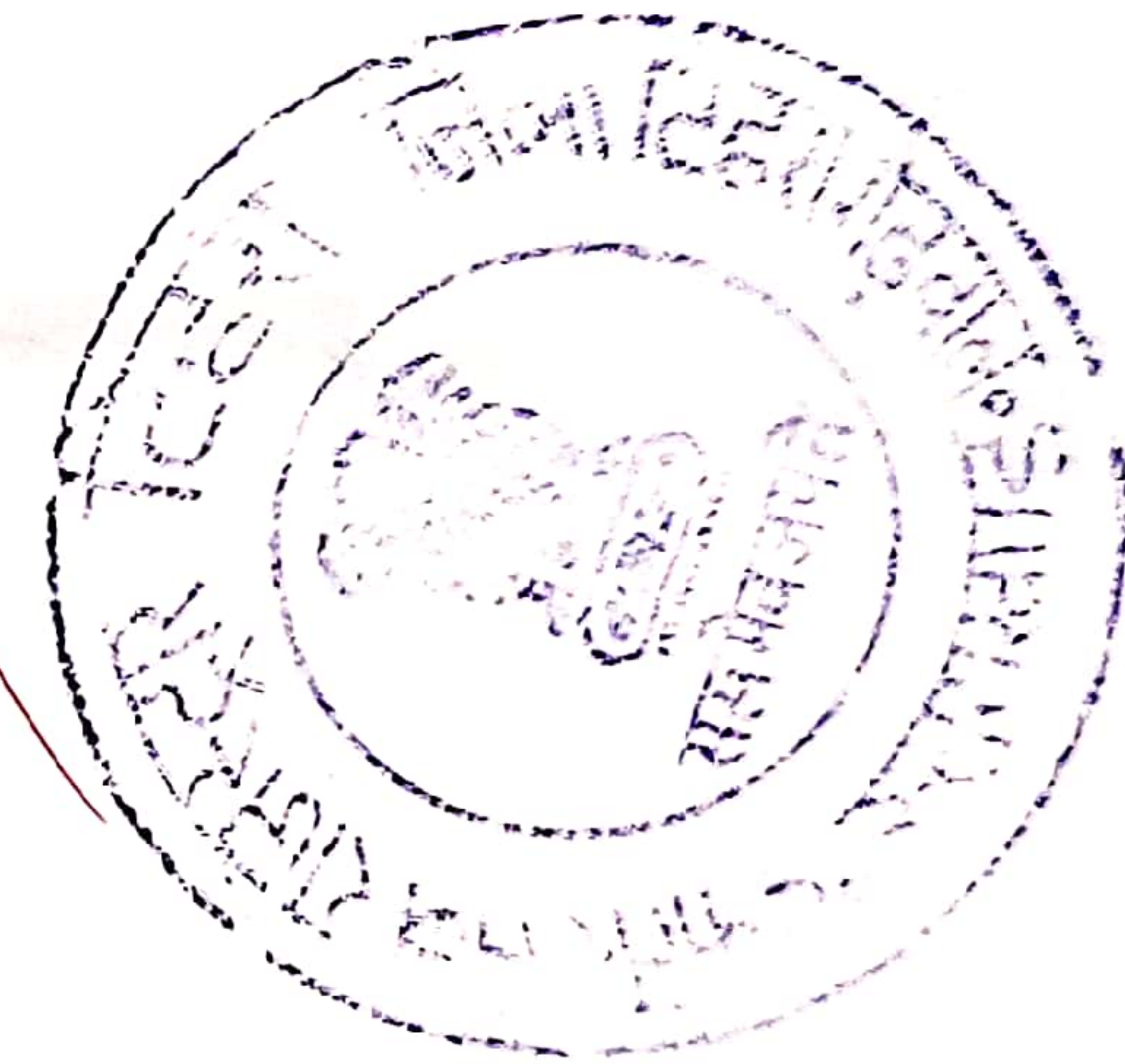
24-07-2024
जाखणीधार
बुधवार

Handwritten signature and stamp



पक्षकारों का विवरण						
पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री उमेश सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :umedsingh07@gmail.com		Self employed		8954021138	ADHAAR : 830201408030
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्रीमती सुरमा देवी पत्नी श्री राम सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :rishurana78954@gmail.com		House wife		9719795996	ADHAAR : 890893203029
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बचन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :bhagwansingh0316@gmail.com		Self employed		7500047336	ADHAAR : 429305669455
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री योगम्बर सिंह निवासी ग्राम-चमस्यूल, पोस्ट-भवौसी (कांडाखाल), पौड़ी गढ़वाल Email :jagmohansinghgusai123@gmail.com		Self employed		9639126702	ADHAAR : 938125573379
गवाह	श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री जान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड		Self employed		9897501756	ADHAAR : 460529151389
गवाह	श्री सुमित मैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड		Self employed		9675988009	ADHAAR : 278921295430

Deed Writer /Advocate Name : D.Dumoga Adv.

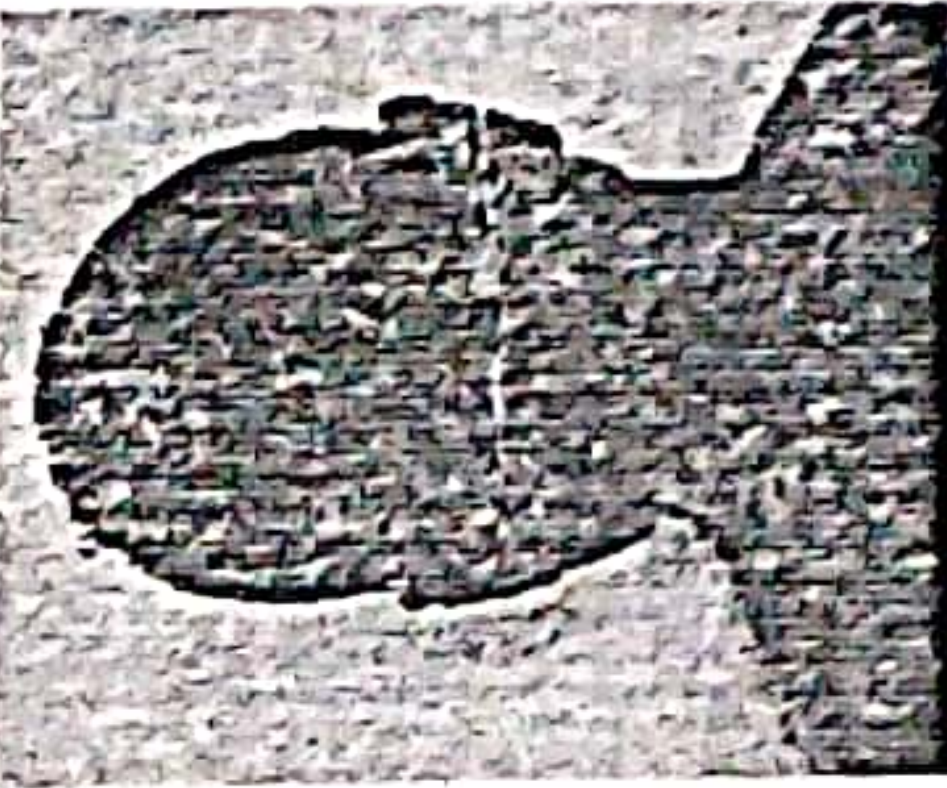


भारत सरकार
Government of India

उम्मेद सिंह
UMMED SINGH
पिता : चन्दन सिंह
Father : CHANDAN SINGH

जन्म तिथि/DOB : 01/12/1962
पुरुष / Male

8302 0140 8030

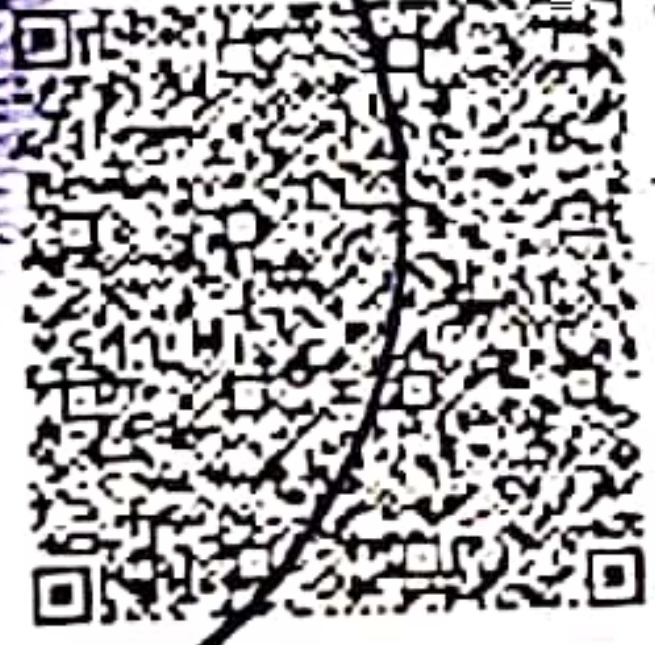
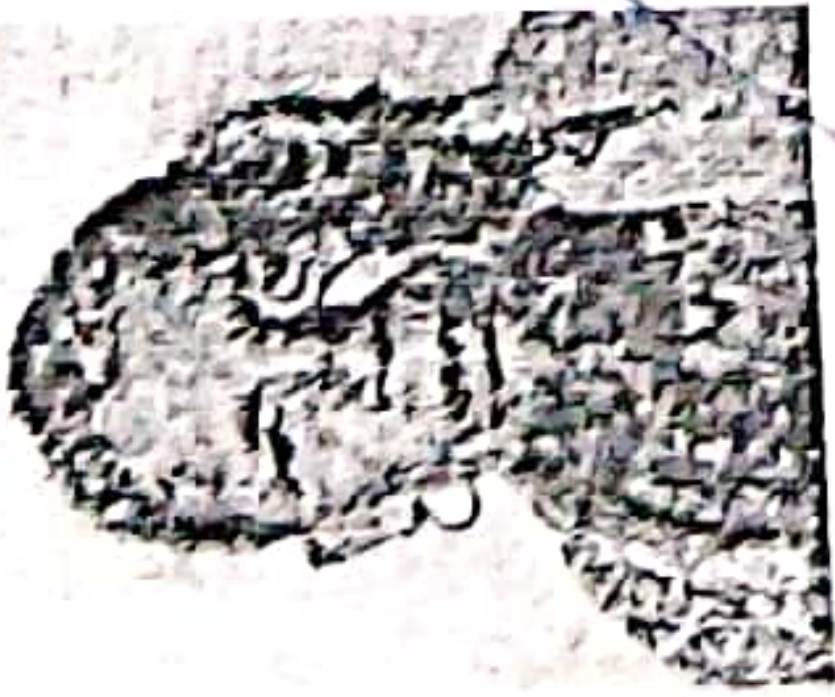


आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India

सुरमा देवी
SURMA DEVI
पिता : ठगु सिंह
Father : THAGU SINGH
जन्म तिथि / DOB : 28/10/1960
महिला / Female

8908 9320 3029

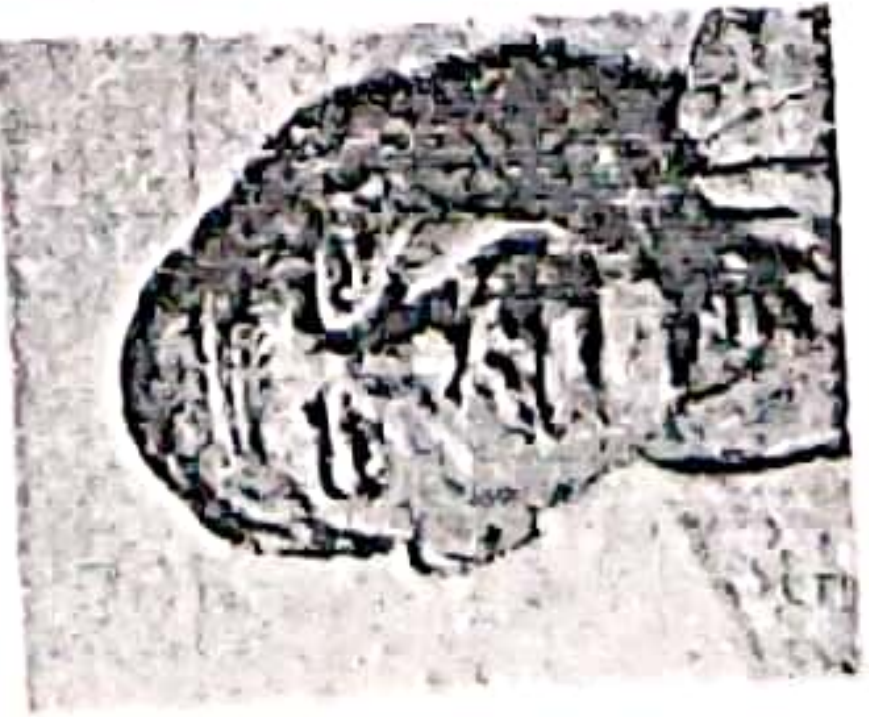


आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India

भगवान सिंह
BHAGWAN SINGH
पिता : बचन सिंह
Father : BACHAN SINGH
जन्म तिथि / DOB : 01/11/1959
पुरुष / Male

4293 0566 9455

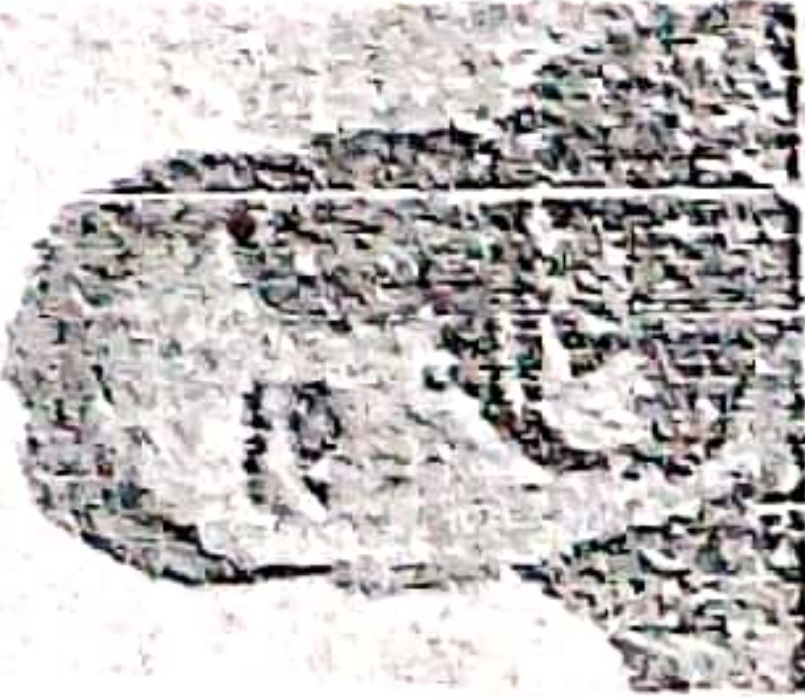


आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India

जगमोहन सिंह
Jagmohan Singh
जन्म तिथि / DOB : 20/03/1983
पुरुष / Male

9381 2557 3379



मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता : - , जाखणीधर
गोदी मया मरोडा, खंडी माया काफली
जखनिधर, तेहरी गार्हवाल, उत्तराखण्ड, 249123

पता : - , जाखणीधर
गोदी मया मरोडा, खंडी माया काफली
जखनिधर, तेहरी गार्हवाल, उत्तराखण्ड, 249123

8302 0140 8030



1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता : - , जाखणीधर, खंडी मया मरोडा,
मरोडा, खंडी माया काफली,
जखनिधर, तेहरी गार्हवाल,
उत्तराखण्ड, 249123

पता : - , जाखणीधर, खंडी मया मरोडा,
मरोडा, खंडी माया काफली,
जखनिधर, तेहरी गार्हवाल,
उत्तराखण्ड, 249123

8908 9320 3029



1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता : - , जाखणीधर, खंडी माया काफली,
जखनिधर, तेहरी गार्हवाल, उत्तराखण्ड,
249123

पता : - , जाखणीधर, खंडी माया काफली,
जखनिधर, तेहरी गार्हवाल, उत्तराखण्ड,
249123

4293 0566 9455



1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता : आत्सज, योगेश्वर सिंह,
पो ओ भवसो (कान्हासाल),
चमन्सुल, पोडी गडवाल, कान्हासाल,
उत्तराखण्ड, 246144

पता : आत्सज, योगेश्वर सिंह,
पो ओ भवसो (कान्हासाल),
चमन्सुल, पोडी गडवाल, कान्हासाल,
उत्तराखण्ड, 246144

9381 2557 3379



1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India



Issue Date : 05/09/2013

विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1983
पुरुष / Male

विक्रम सिंह

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Issue Date : 22/02/2014

सुमित सेनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

सुमित सेनी

2789 2129 5430

VID : 9170 5987 1646 0133

मेरा आधार, मेरी पहचान



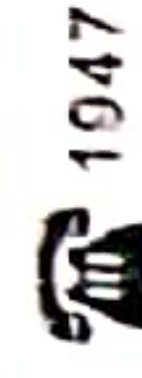
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: जगन्नीधर, खादी मग मरोडा, खंडी मया
काफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, 240123

Print Date : 16/07/2023

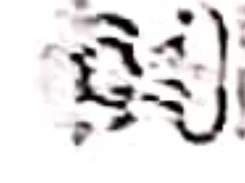
Address: JAKHNI DHAR khandi may
maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri
Garhwal, Uttarakhand, 240123

4605 2915 1389



1947 | help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

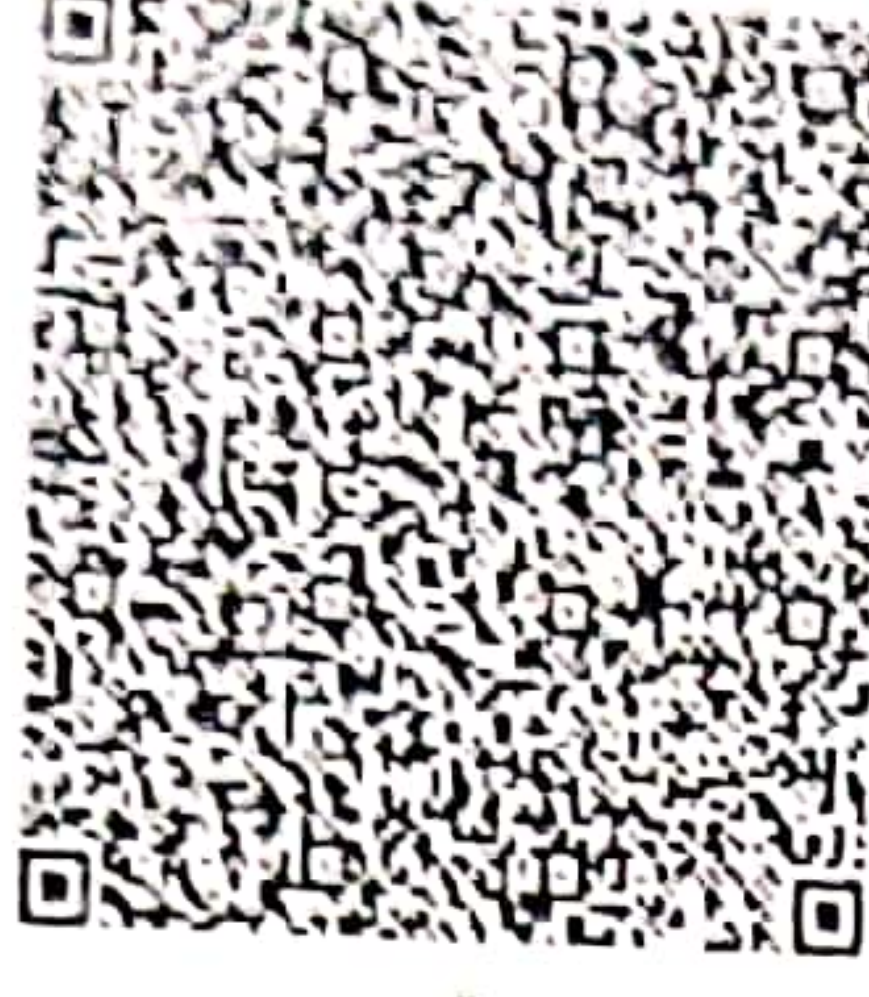


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सतीश कुमार, 85, निजामपुर, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड - 247670

Download Date: 21-12-2021

Address:
S/O Satish Kumar, 85, nizampur, Nizampur,
Haridwar,
Uttarakhand - 247670



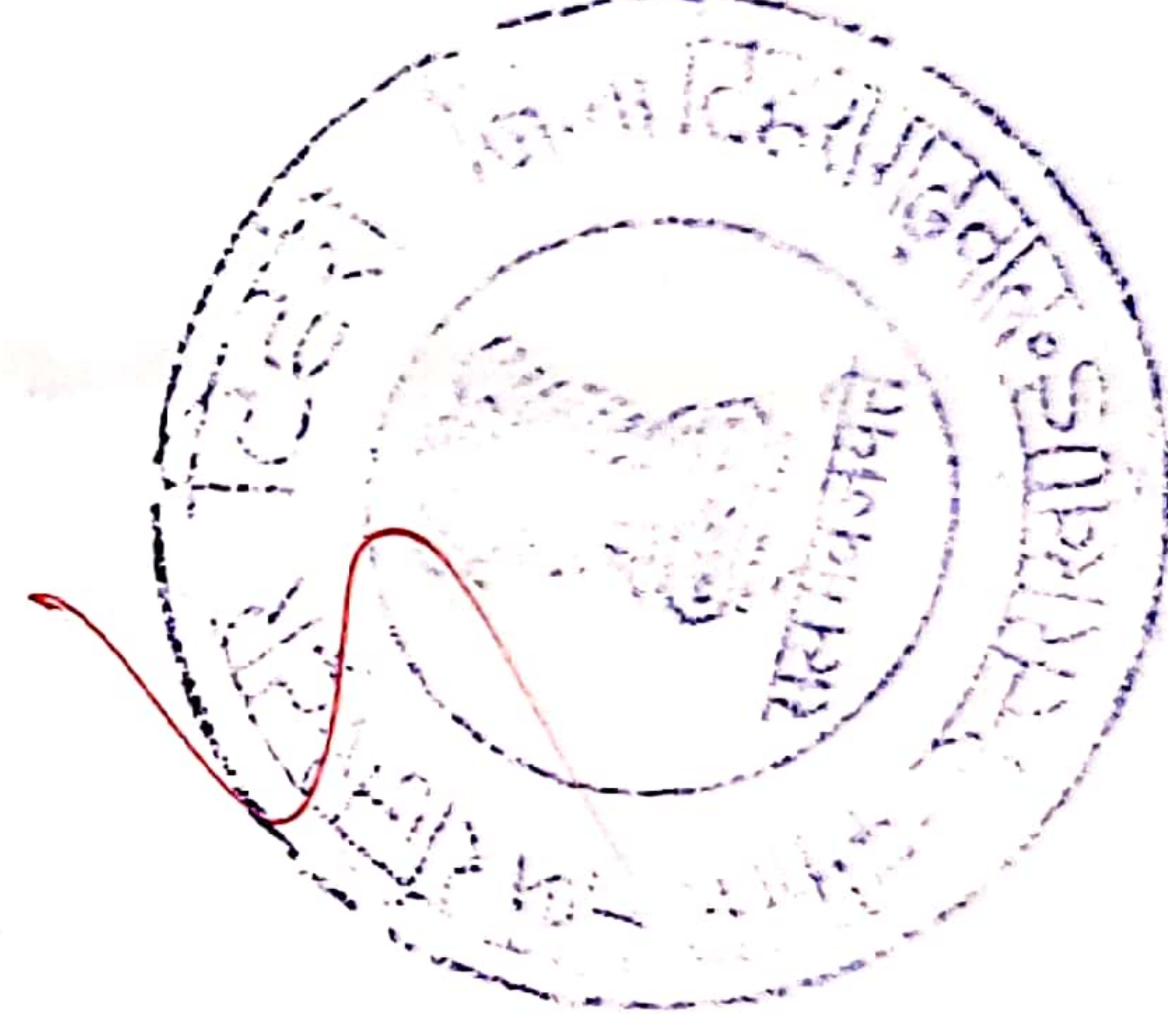
2789 2129 5430

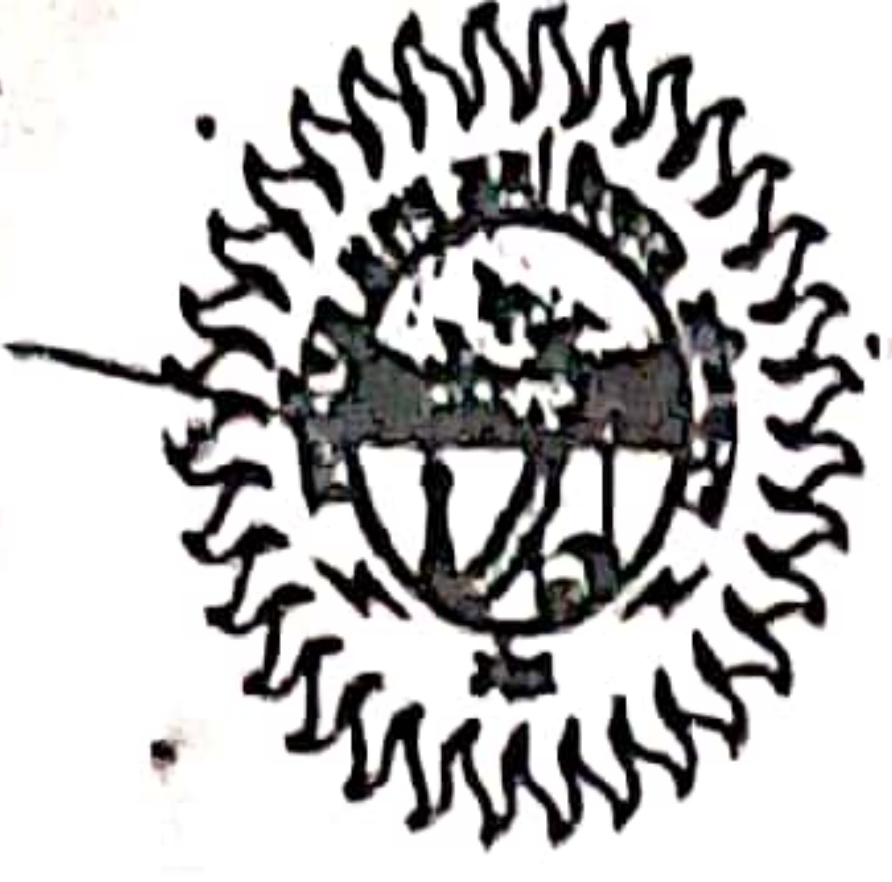
VID : 9170 5987 1646 0133



1947 | help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in





कार्यालय: उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
फोन नं० - 01378-227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्राक संख्या 275/उरेडा/मु.मं. सौर स्व०यो/ 2023-24 दिनांक 24 जुलाई, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री जगमोहन सिंह
ग्राम चमस्यूल पो०ओ० भवौसी
पौडी गढ़वाल।

विषय:- "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि०वा० क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

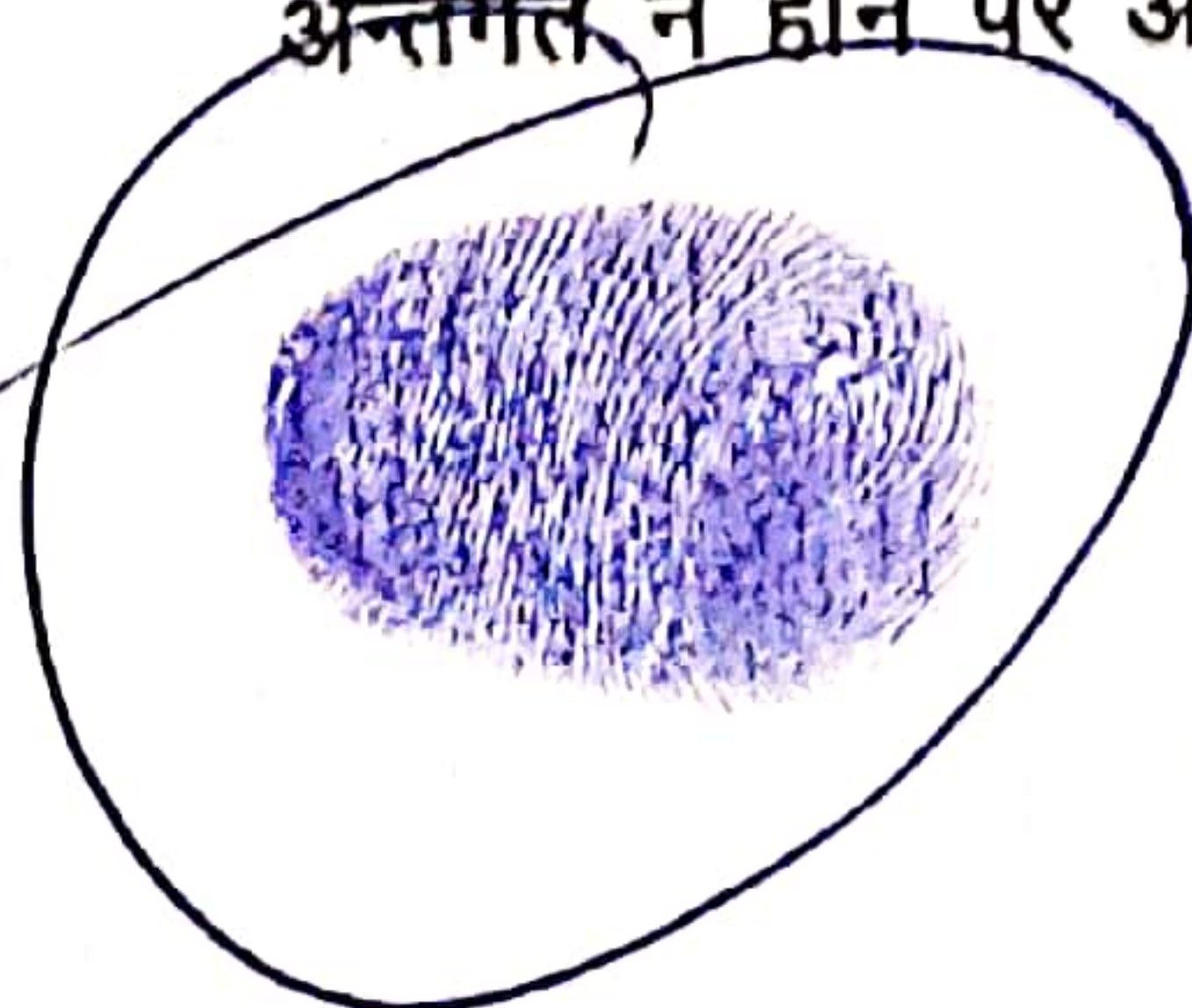
महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 कि०वा० क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं०	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या-	3180
02.	संयंत्र की क्षमता	200 कि०वा०
02.	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रू० 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	ग्राम खान्दी, जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।
04.	संयंत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयंत्र से उत्पादित विद्युत के कय की अवधि	संयंत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षों तक

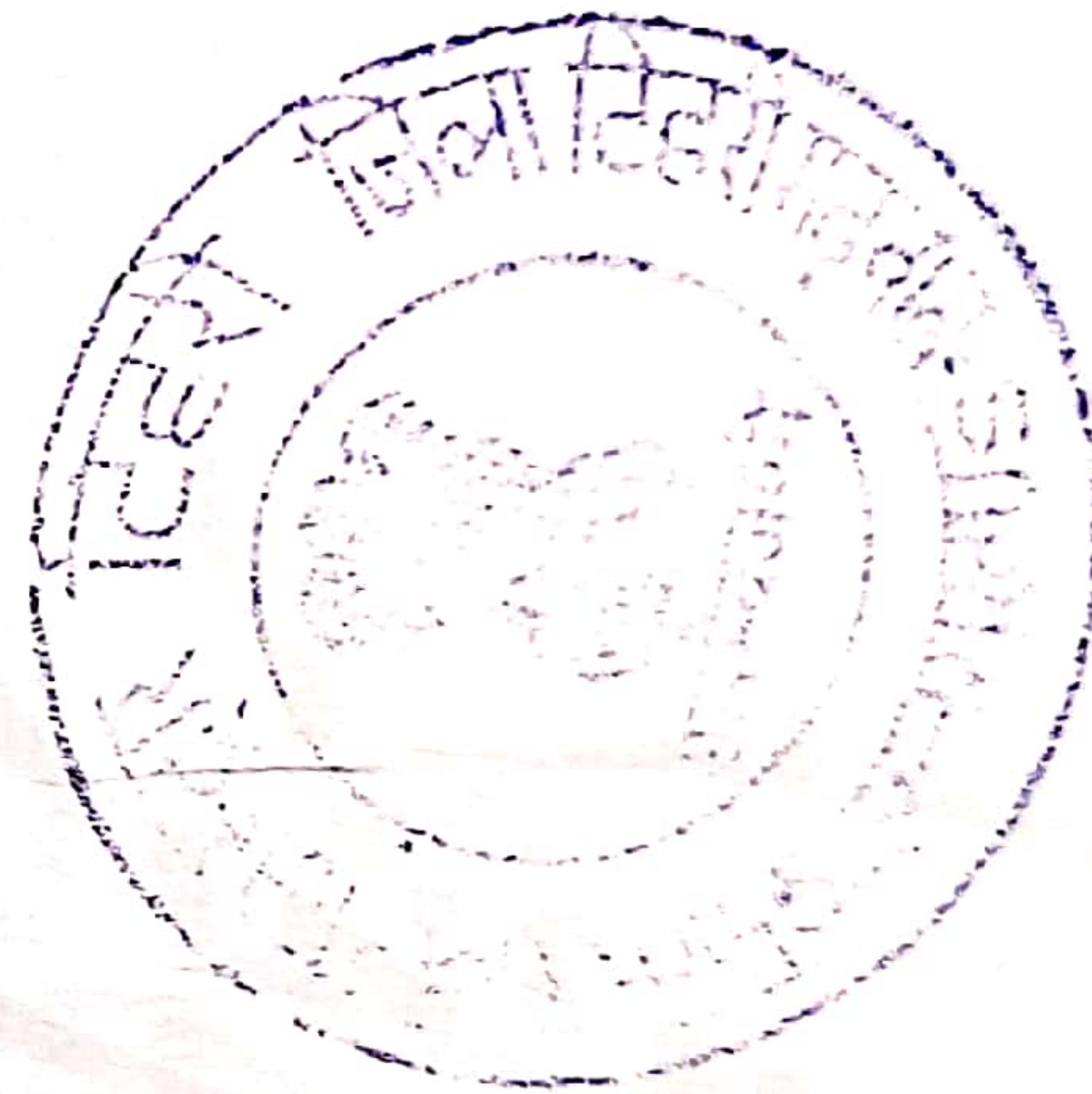
01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/I-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या- 1058/I-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभँति भिन्न है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि०वा० हेतु रू० 25,000/-, 100 कि०वा० हेतु रू० 50,000/- एवं 200 कि०वा० हेतु रू० 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमीशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।



2. श्री जगमोहन सिंह
पौडी गढ़वाल

महेश सिंह



~

03. कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।

04. पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश/कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें।

05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगे।

06. मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.

(b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.

(c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.

(d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning.”

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।

08. सम्बन्धित आवंटी / विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

09. संयत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वयं कराया जाना होगा।

10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।

11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्युरिटी (CPD) कर ली जायेगी।

12. परियोजना की कमीषनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को जाना मान्य नहीं होगा।

हस्त
का
अक्षर
को

Muralidhar

गोपबन्धु

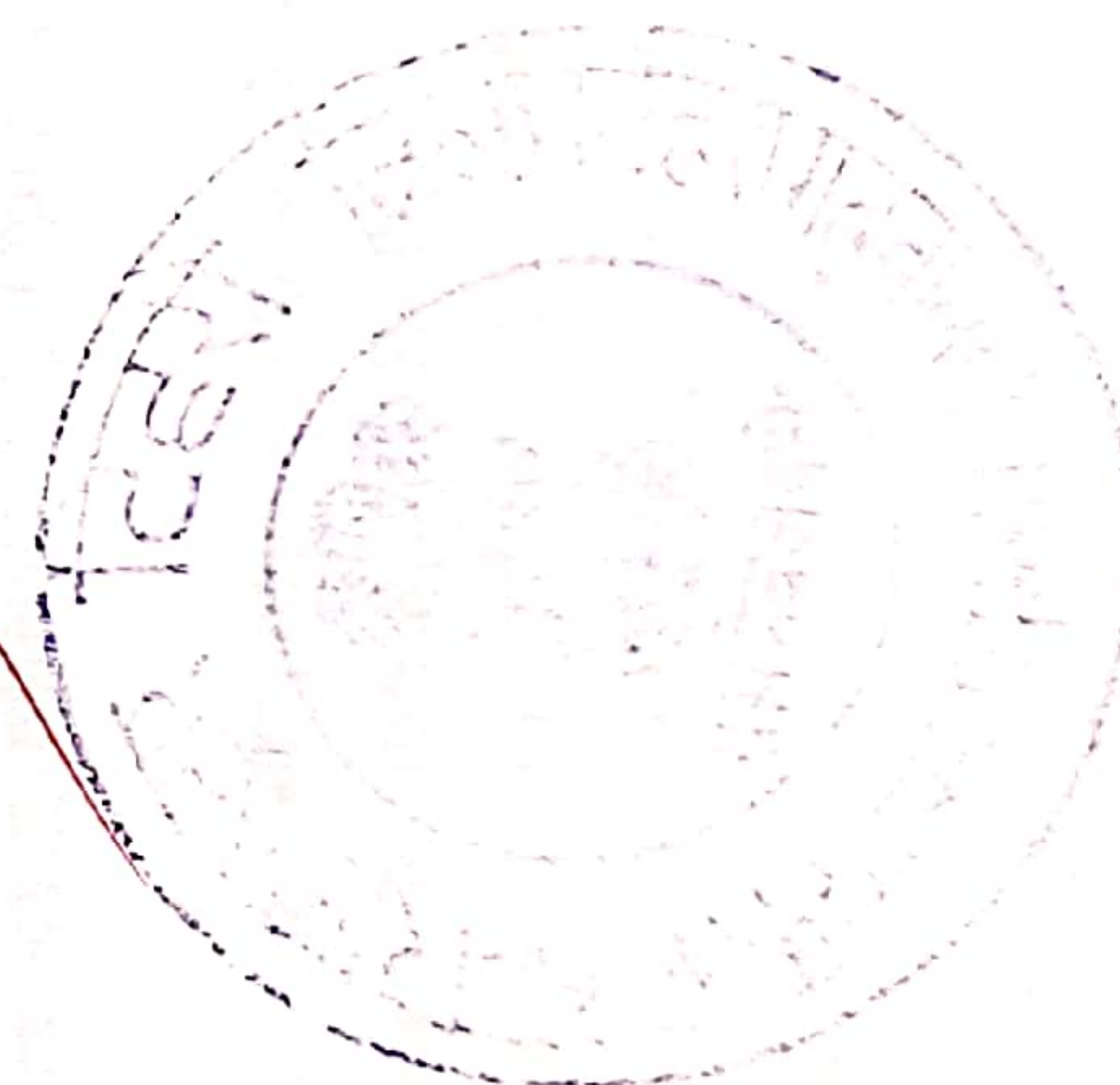
सिद्धि

नं० ७

(मार्क)

आवाज

B I 1 1 1



13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवंटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटी एवं फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यदेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा।

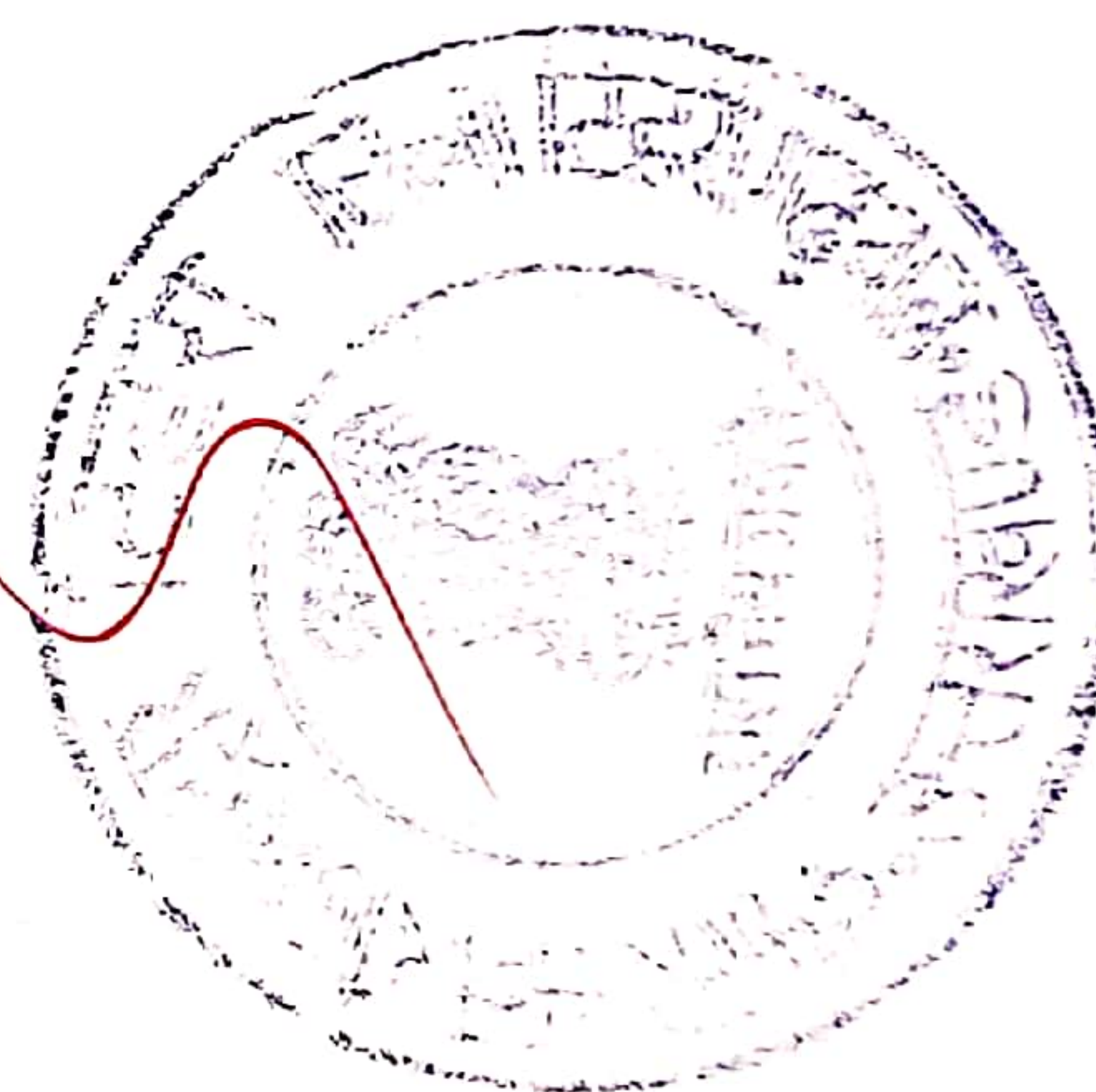
14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एवं लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त <https://investuttarakhand.uk.gov.in> पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

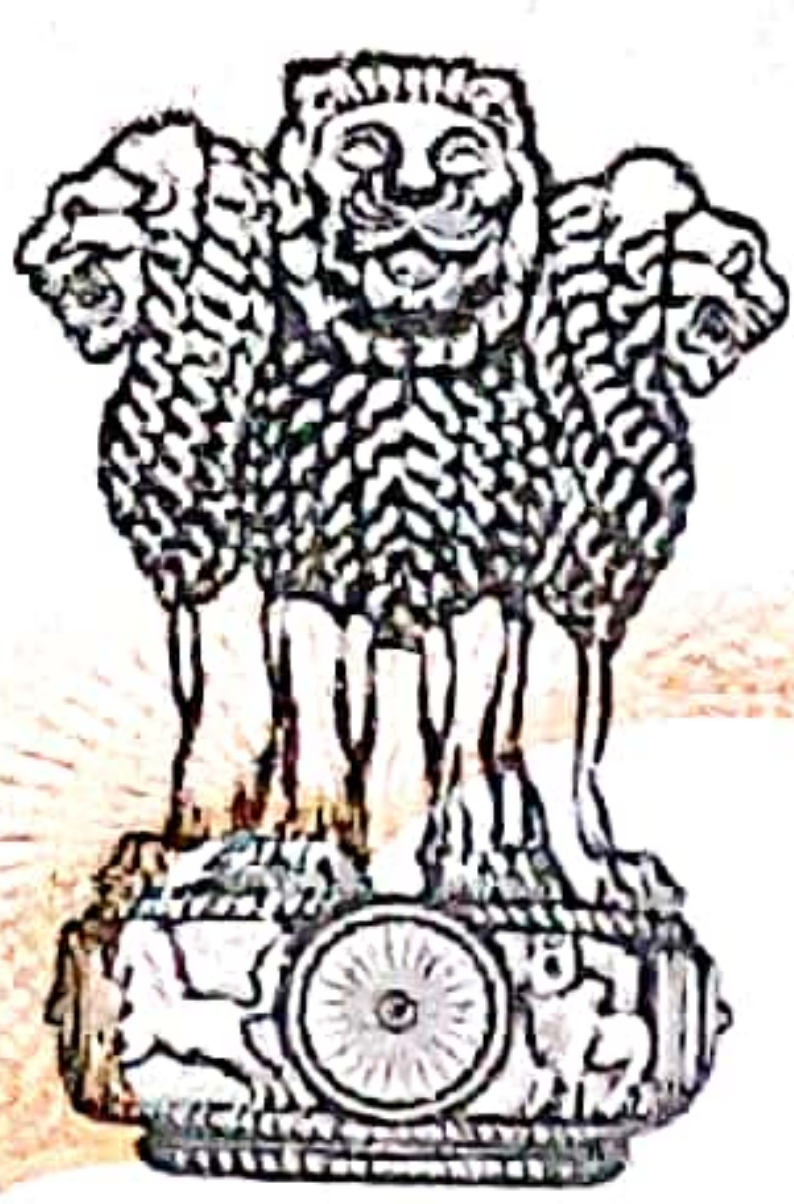
अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

प्रतिकृति प्रस्तुत है


वरिष्ठ परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी गढवाल

And will 





सत्यमेव जयते



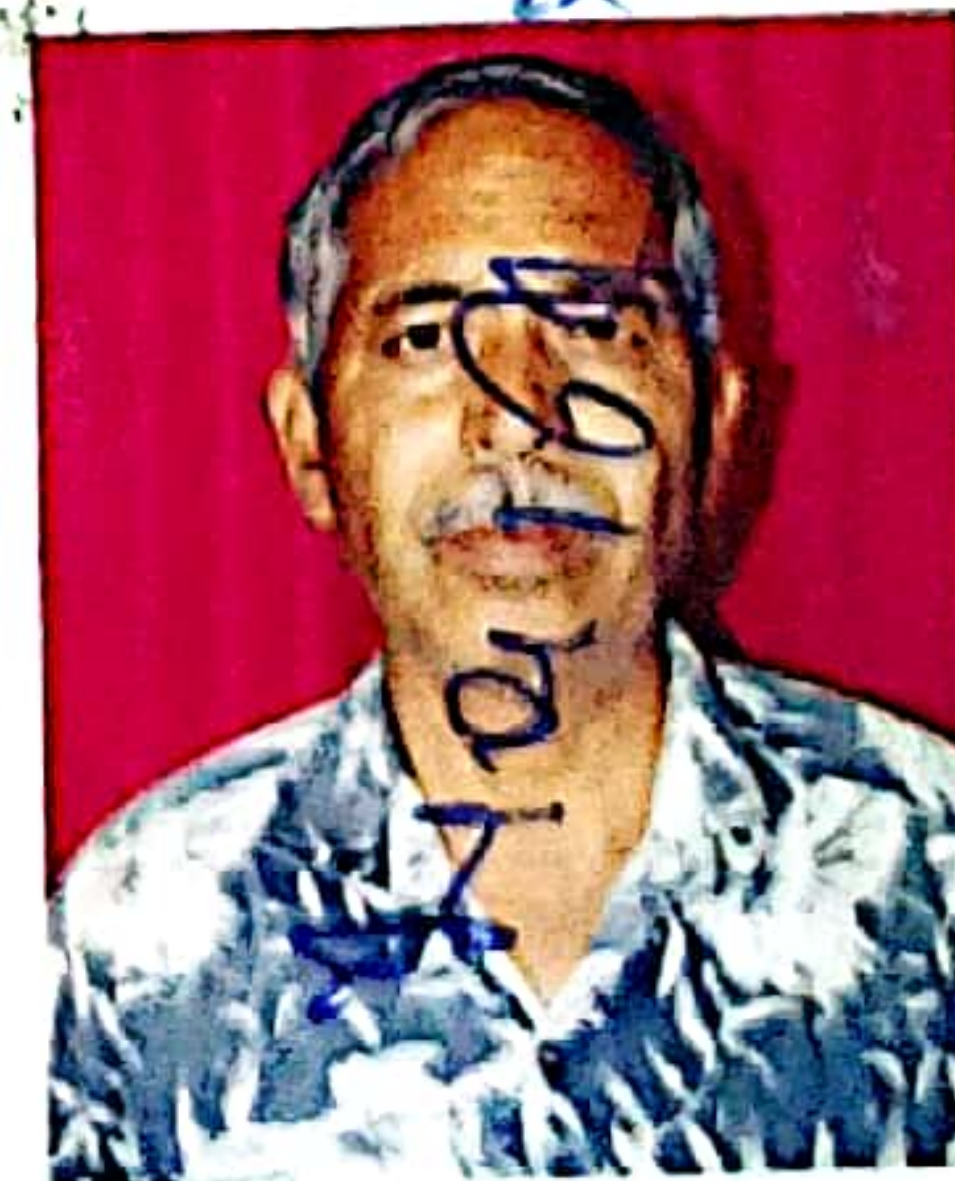
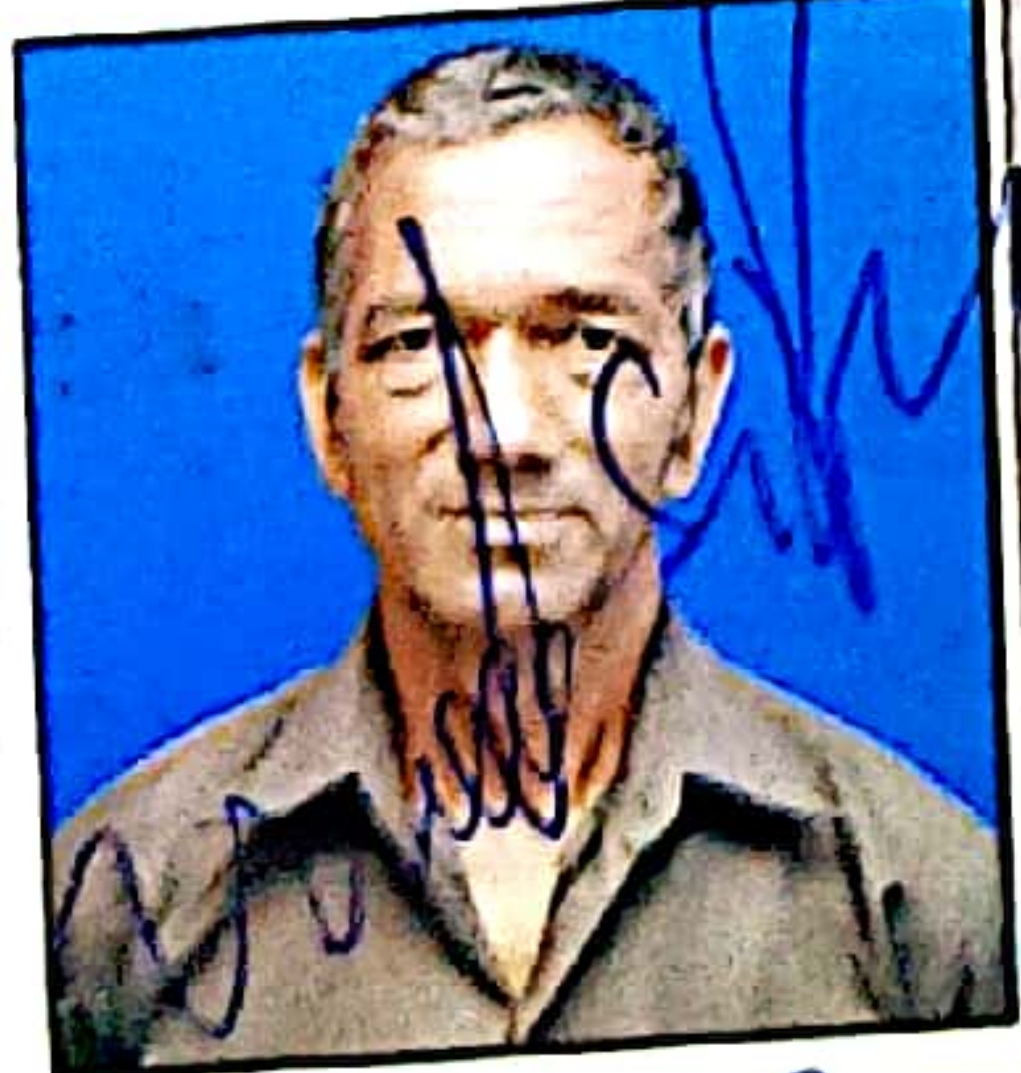
IN-UK35584061159204W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK35584061159204W
 Certificate Issued Date : 31-Jul-2024 12:21 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960478065835787452W
 Purchased by : JAGMOHAN SINGH
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : UMMED SINGH SURMA DEVI BHAGWAN SINGH
 Second Party : JAGMOHAN SINGH
 Stamp Duty Paid By : JAGMOHAN SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,300
 (Eight Thousand Three Hundred only)



दुर्गा मूलद सनियाल
 इटावा जिल्ला
 कोट कम्पाउण्ड नई टिहरी



क. डि
 गीतरी दुर्गा मूलद

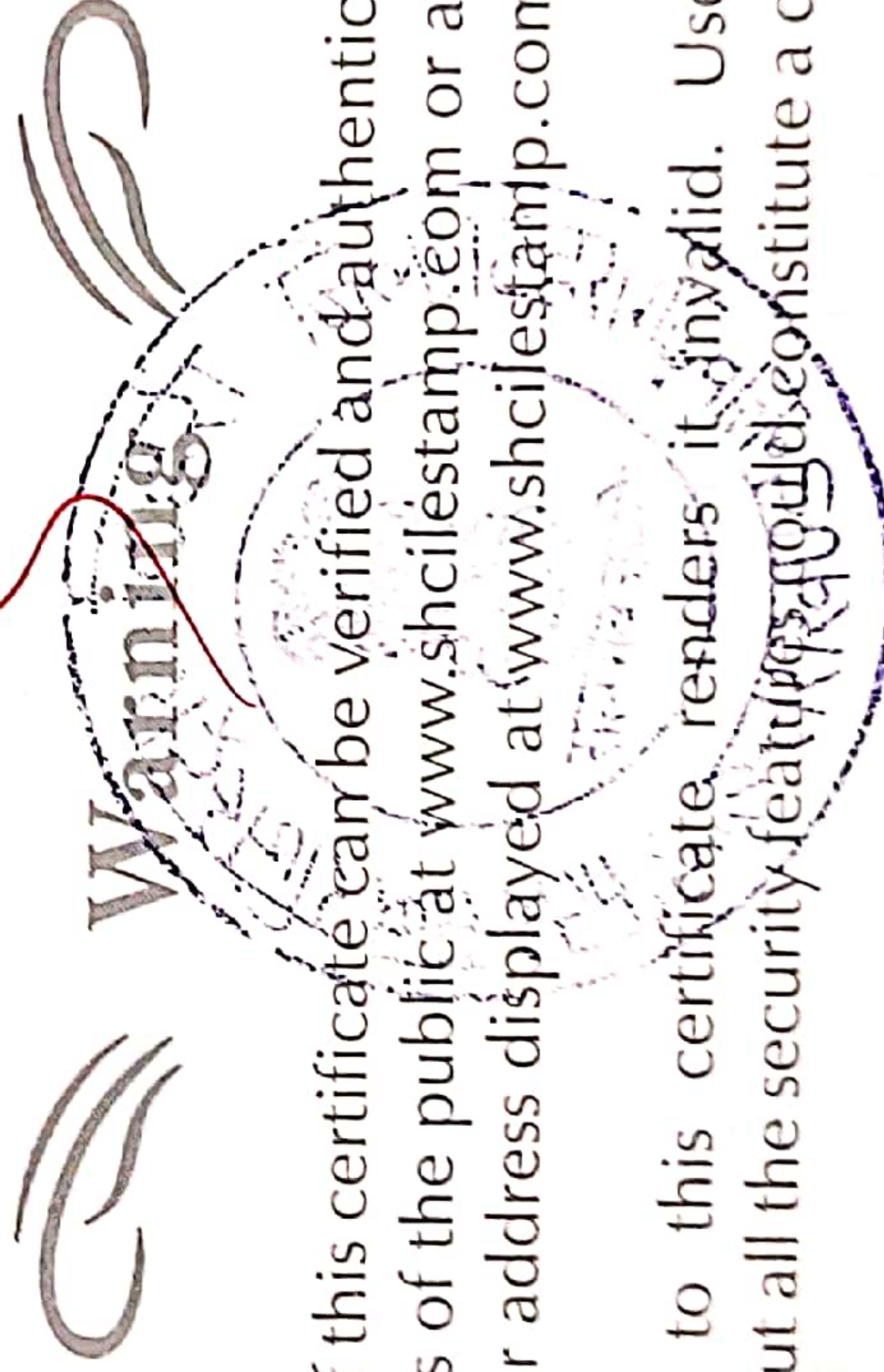
0025383158

Statutory Alert:

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.sholestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
- 2 Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
- 3 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
- 3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

5411

Verified & Locked



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features ~~may~~ constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



8316800000

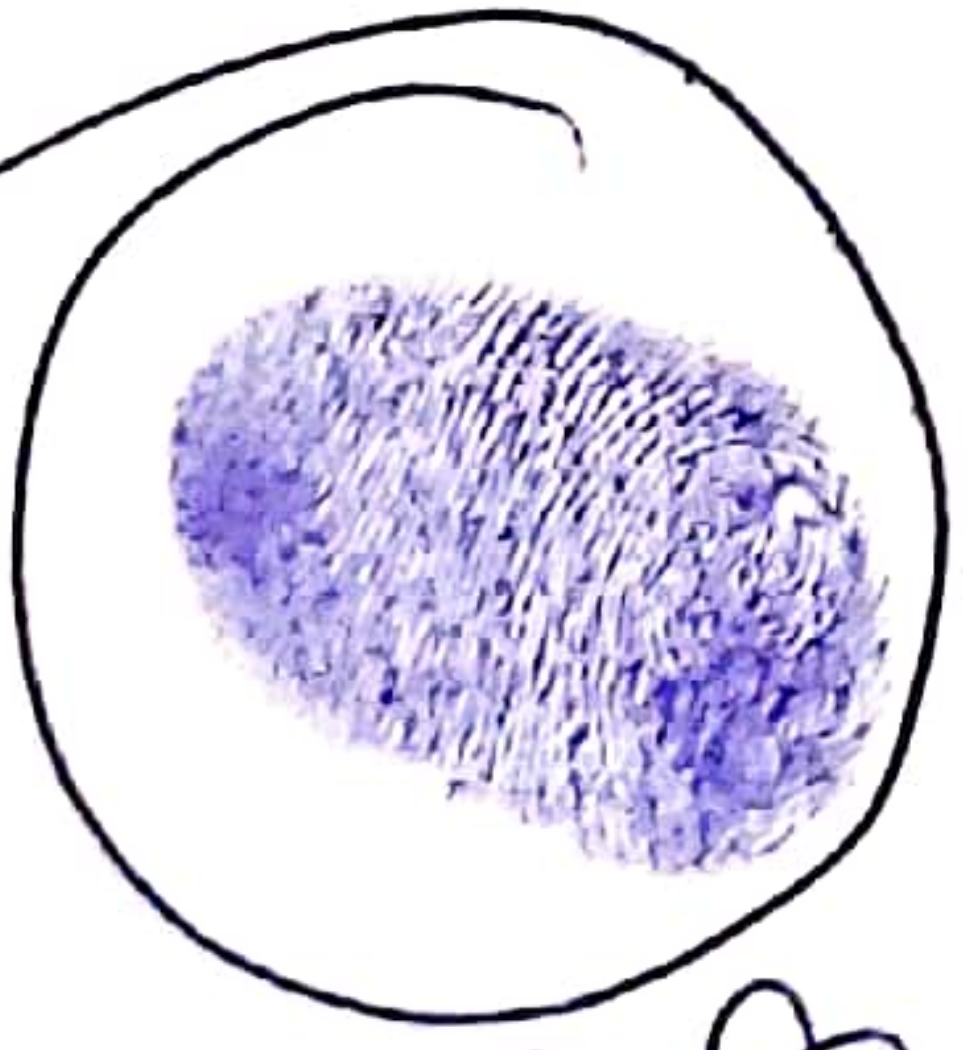
पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) जुलाई 2024 माह के 31 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

उमेद सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह (Adhar no. 830201408030) (Mob.8954021138), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123, सुरमा देवी पत्नी श्री राम सिंह (Adhar no. 890893203029) (Mob.9719795996) निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 एवं भगवान सिंह पुत्र श्री बचन सिंह (Adhar no. 429305669455) (Mob-7500047336), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

जगमोहन सिंह पुत्र श्री योगम्बर सिंह, निवासी-ग्राम-चमस्यूल, पो0 ओ0-भवौसी, (काण्डाखाल) पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड (Adhar No-938125573379) (Mob-9639126702)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।


३ दि
नियम) ५/७/२०२४

वही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 326 वर्ष 2024

Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00

औरात वार्षिक

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क	किराया रु0 : 0.00	शब्द लगभग
रु0 4140.00	रु0 100.00	रु0 280.00	रु0 4520.00	1000

श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री योगम्बर सिंह निवासी ग्राम-चमस्यूल, पोस्ट-भवौंसी (कांडाखाल), पौड़ी गढ़वाल ने आज दिनांक 31 Jul 2024 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार मे प्रस्तुत किया।



[Signature]

जगमोहन सिंह

[Signature]

उपनिबन्धक

जाखणीधार

31-Jul-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री उमेद सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड \ श्रीमती सुरमा देवी पत्नी श्री राम सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड \ श्री भगवान सिंह पुत्र श्री बचन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड \ ने नजराना मुबलिंग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री योगम्बर सिंह निवासी ग्राम-चमस्यूल, पोस्ट-भवौंसी (कांडाखाल), पौड़ी गढ़वाल \ ने भी स्वीकार किया।

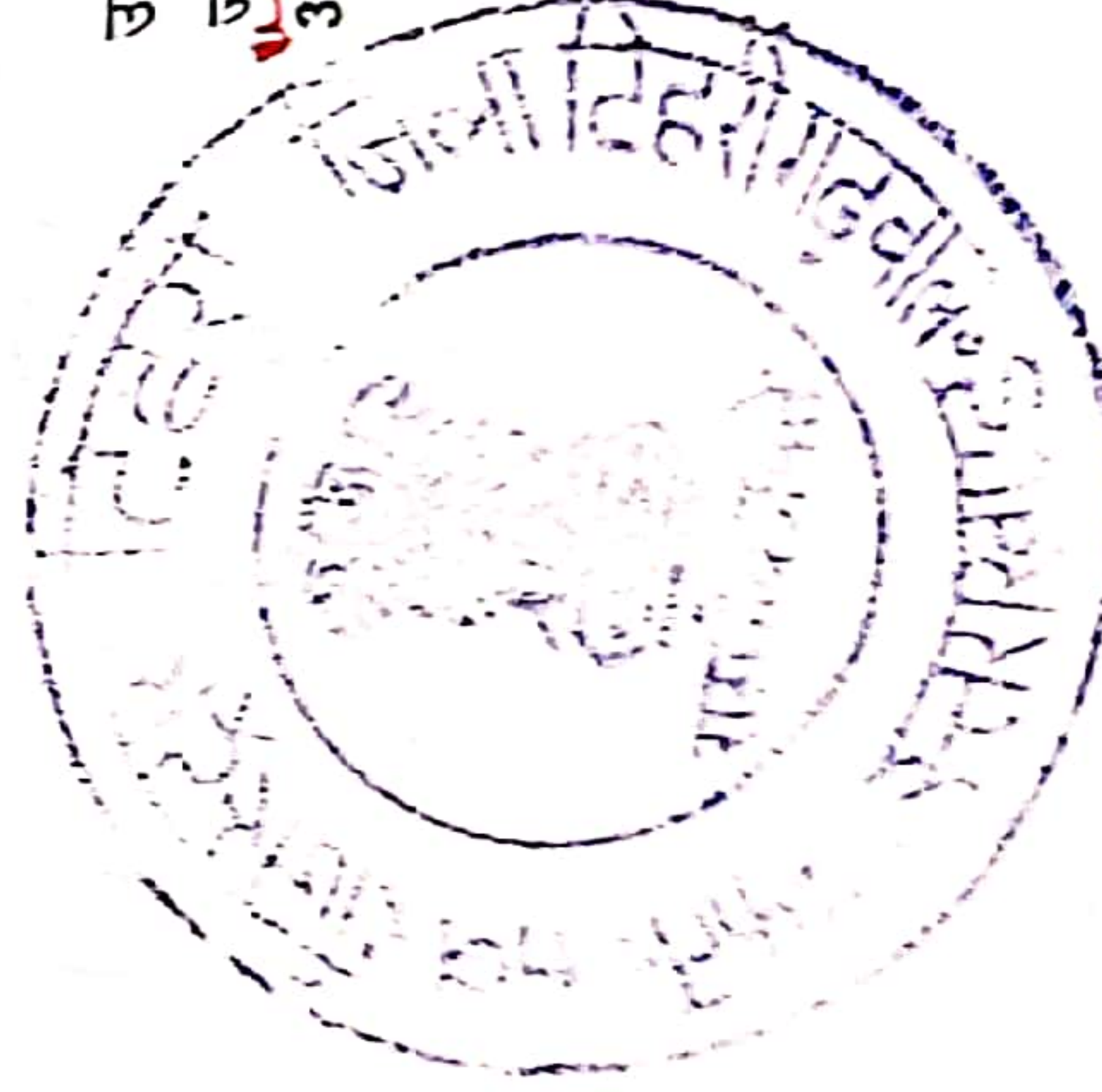
जिनकी पहचान श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड तथा श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने की।

[Signature]

उपनिबन्धक

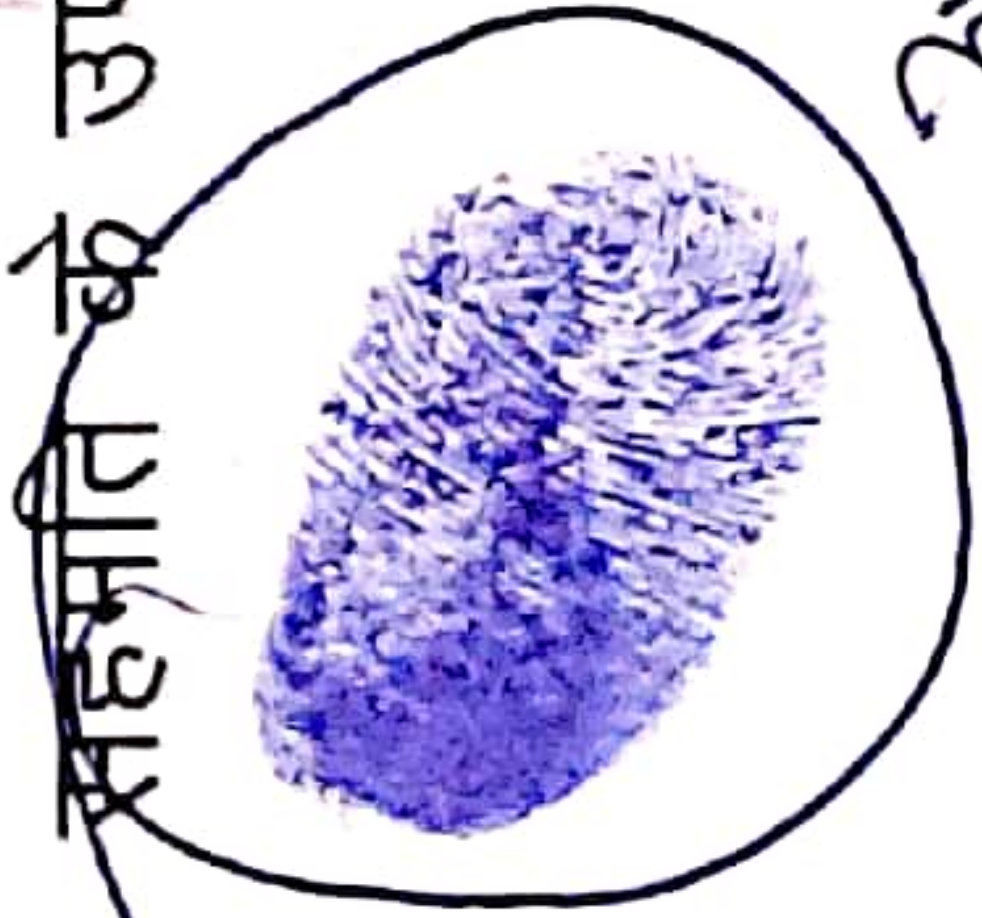
जाखणीधार

31-Jul-2024



1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता संख्या 00001 फसली वर्ष 1428-1433 में दर्ज खेत संख्या 505 रक्बा 0.049 हे0, खेत सं0-508 रक्बा 0.088 हे0, खेत सं0-521 रक्बा 0.069 हे0 भूमि स्वामी उमैद सिंह कुल रक्बा 0.206 हे0 याने 2060 वर्ग मीटर खाता सं0-00036 में दर्ज खेत सं0-506 रक्बा 0.021 हे0, खेत सं0-507 रक्बा 0.033 हे0 भूमि कुल रक्बा 0.054 हे0 याने 540 वर्ग मीटर भूमि स्वामी श्रीमती सुरमा देवी खेत सं0-522 रक्बा 0.040 हे0 याने 400 वर्ग मीटर भूमि स्वामी भगवान सिंह दोनों खातों का कुल रक्बा 0.300 हे0 याने 3000 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं0-275/उरेडा मु0म0 सौर स्व0यो/2023-24 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।

2. यह कि पट्टा दिनांक 31.07.2024 से प्रारम्भ होकर 30.07.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु0 4200 रु0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।



Handwritten signature

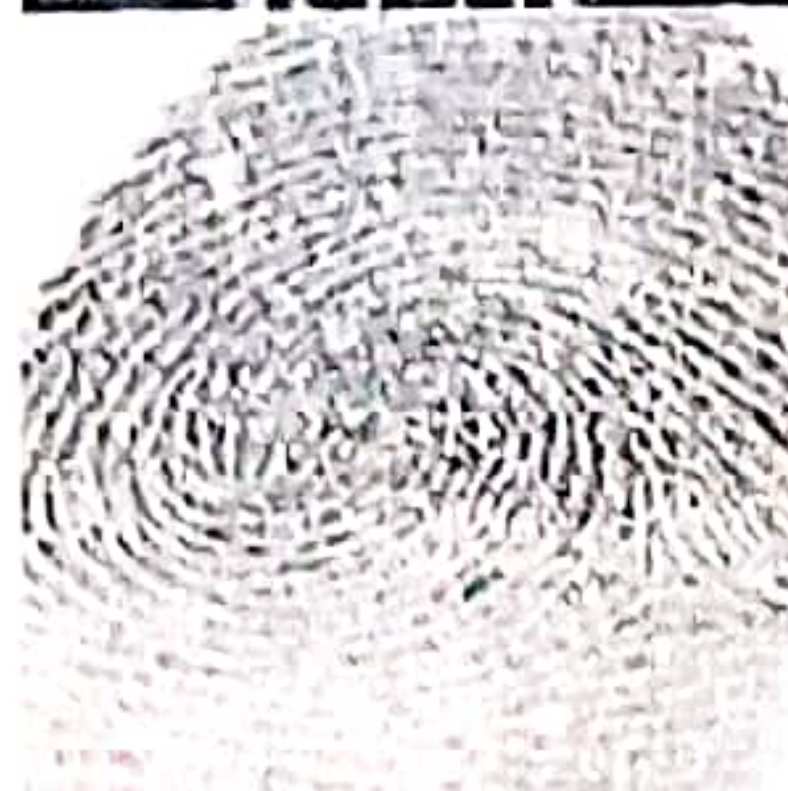
र. 60 निम्नी तुलना की

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 326 वर्ष 2024



उमेश सिंह

उमेश सिंह



सुरमा देवी



भगवान सिंह

भगवान सिंह



जगमोहन सिंह

जगमोहन सिंह



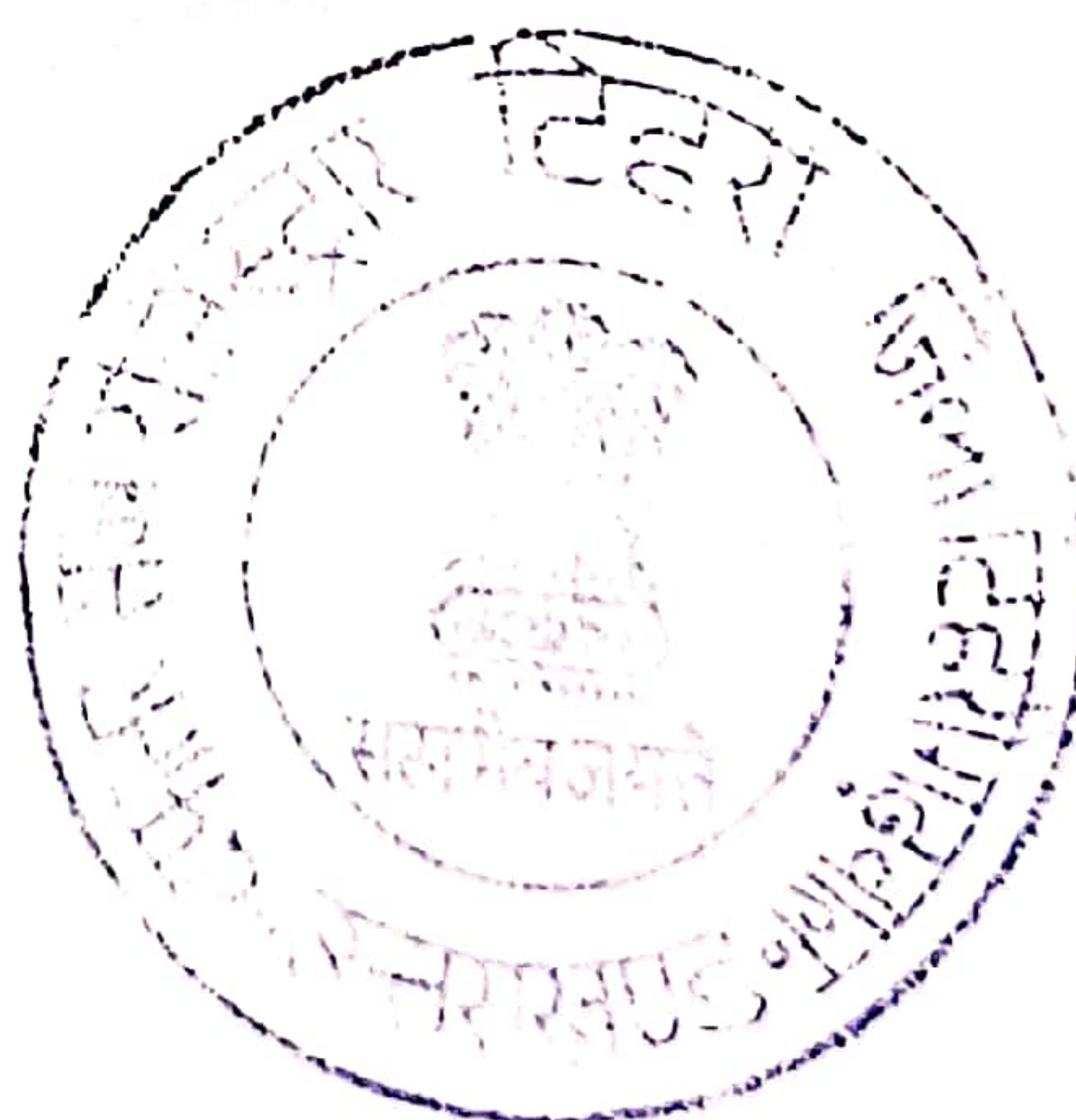
विक्रम सिंह

विक्रम सिंह



सुमित सैनी

सुमित सैनी



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार

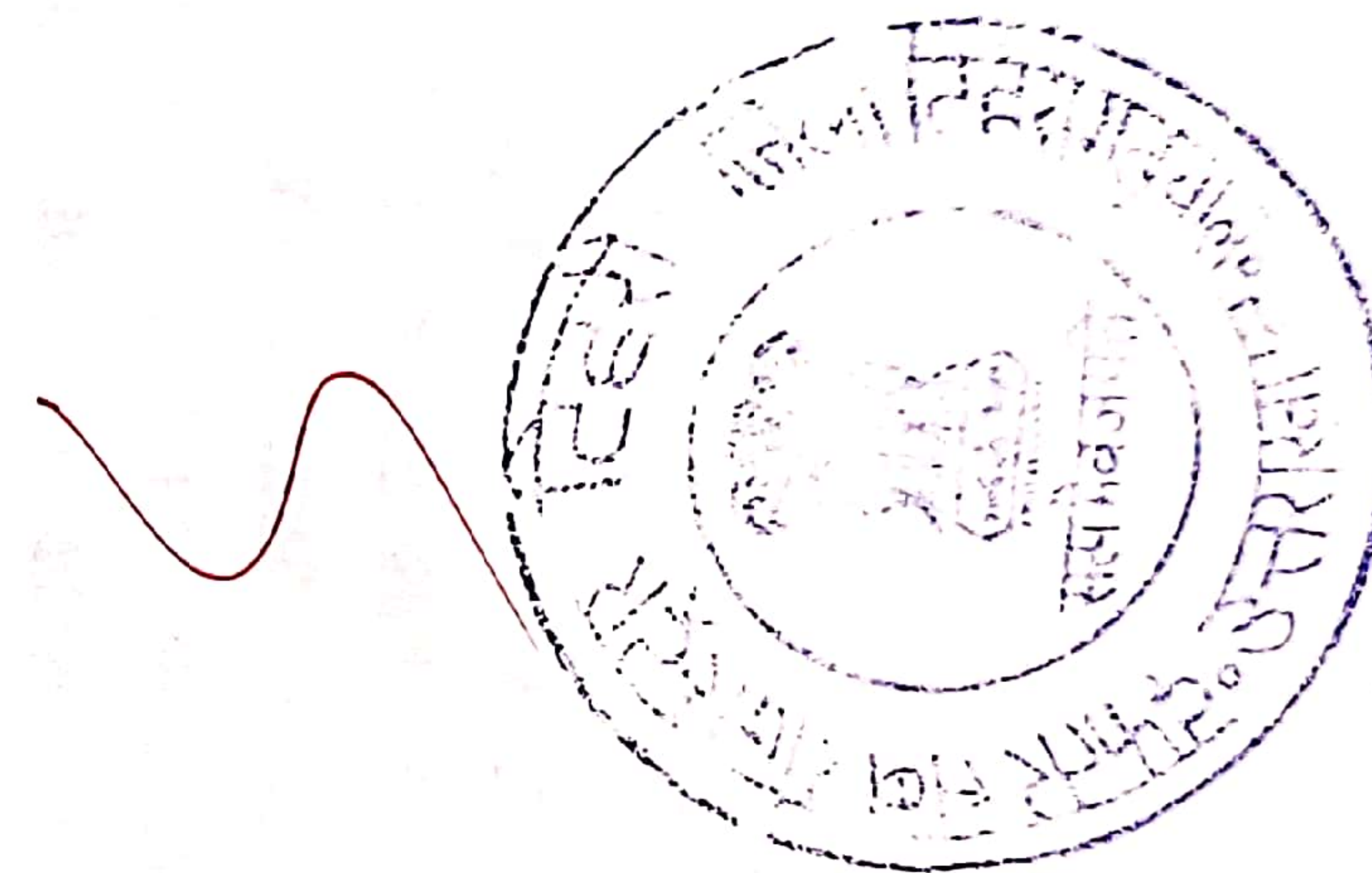
31 Jul 2024

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 6,30,000 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,93,000 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,33,610 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 18,56,610 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 68,763.33 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5730.27 रु० होता है।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

रु० 6
होमरी
कुछ

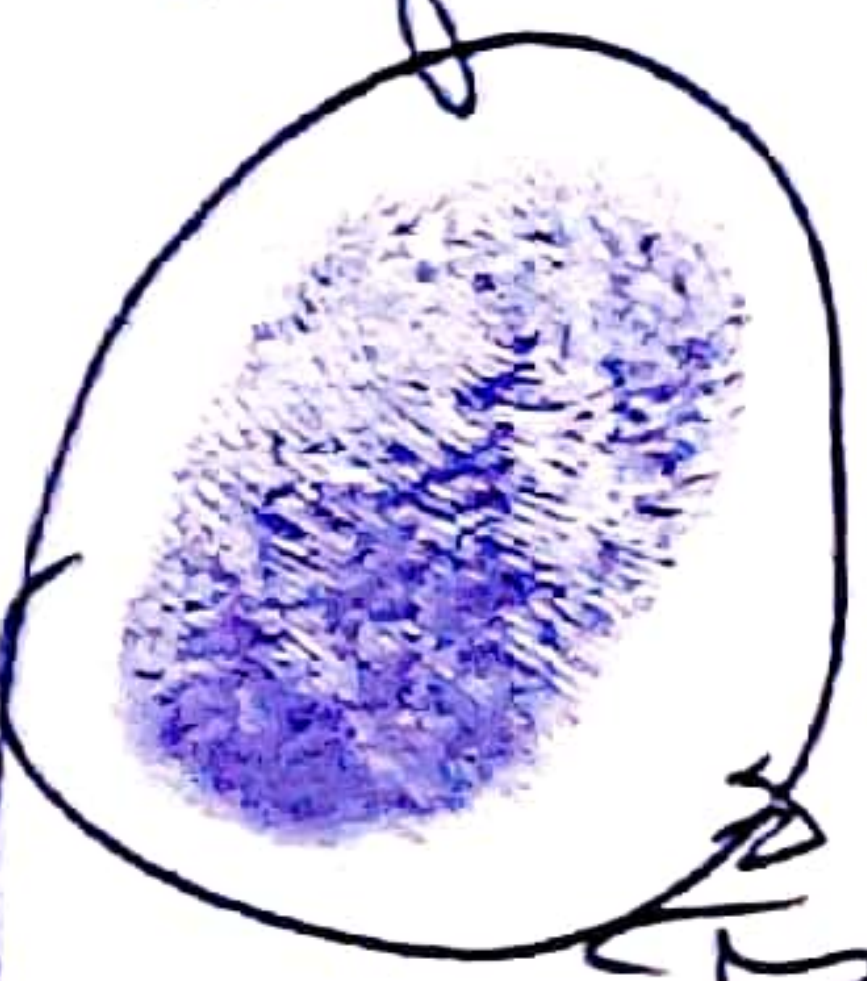
सुख

सुख (Mud) Sd/M



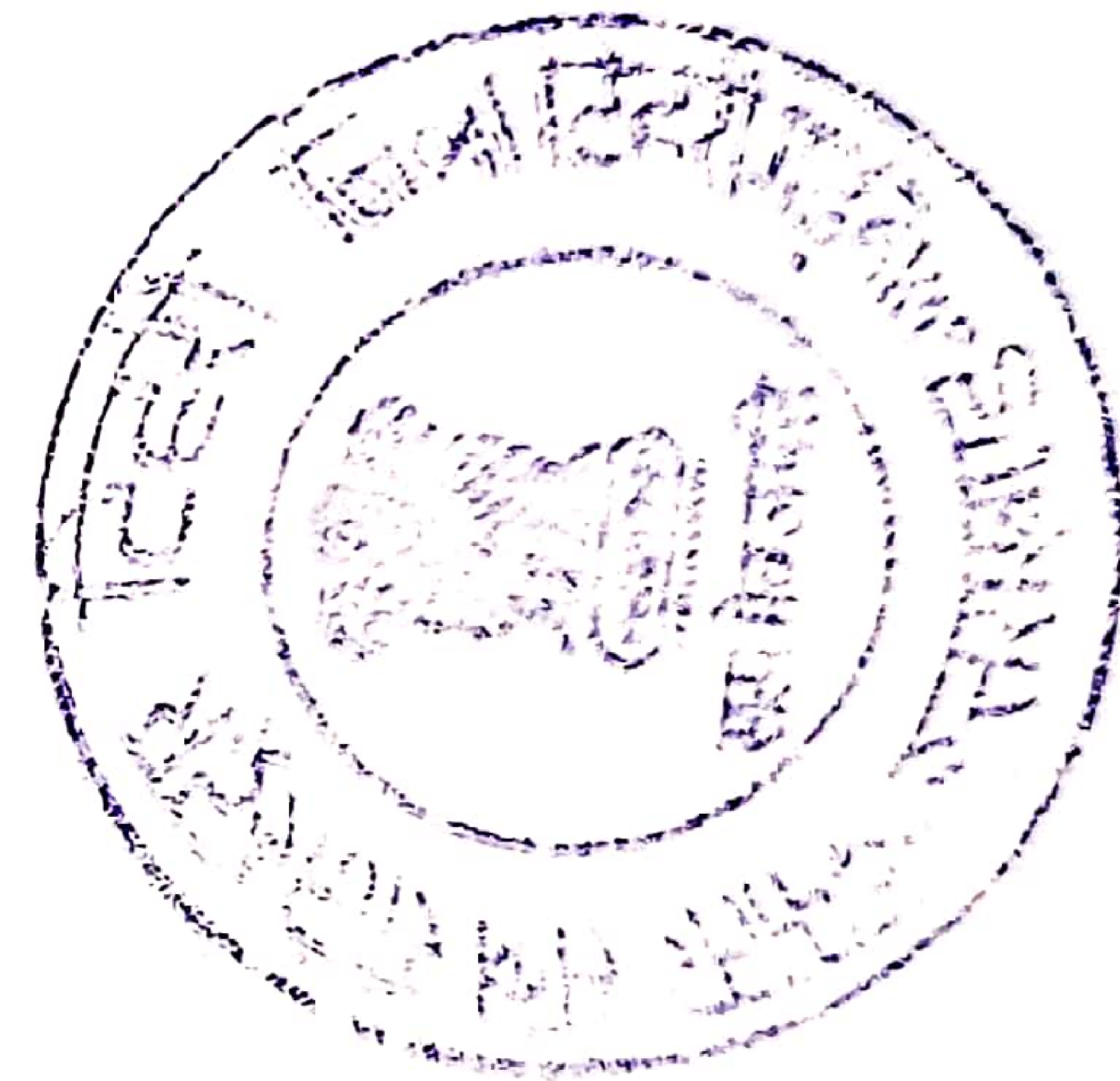
9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 68,763.33 रु0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 4,13,000 रु0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 8300 रु0 अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्यूरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।
11. यह कि पट्टादाता के द्वारा जगमोहन सिंह, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टादाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।

अति
गिरवी
6/12/2024



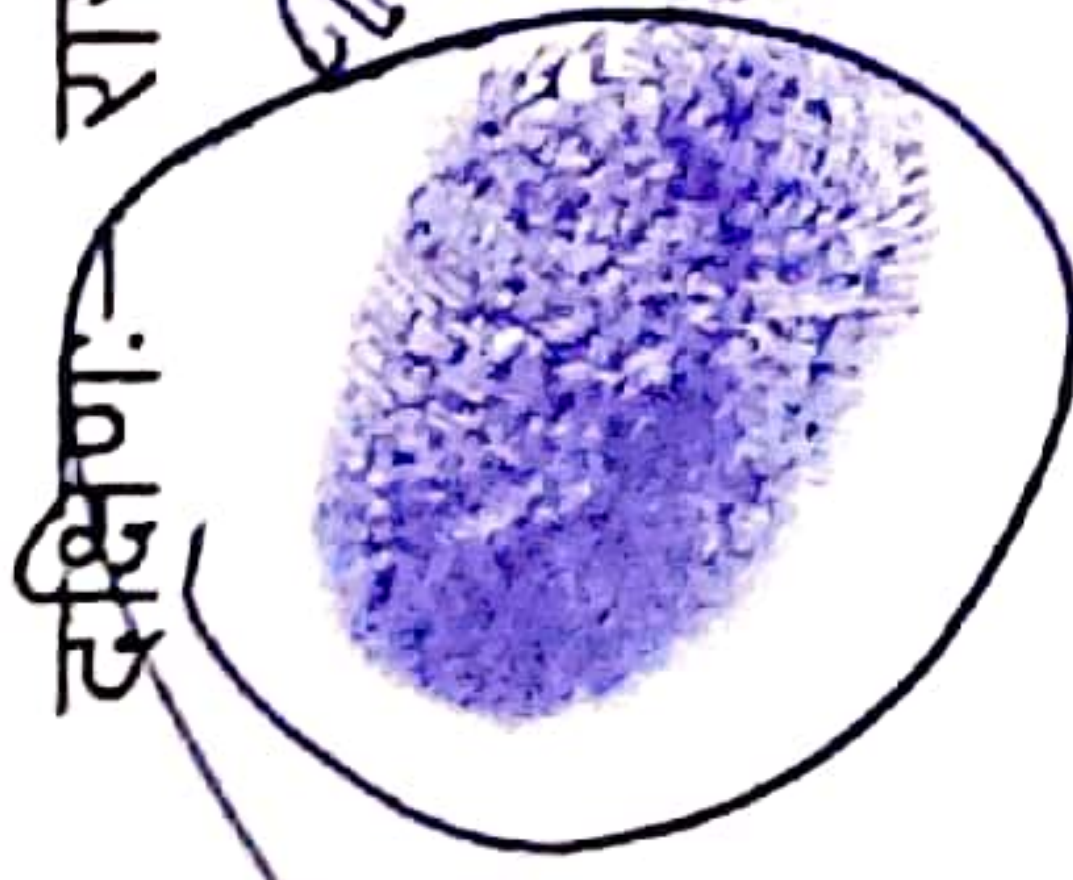
Signature (Handwritten)

3

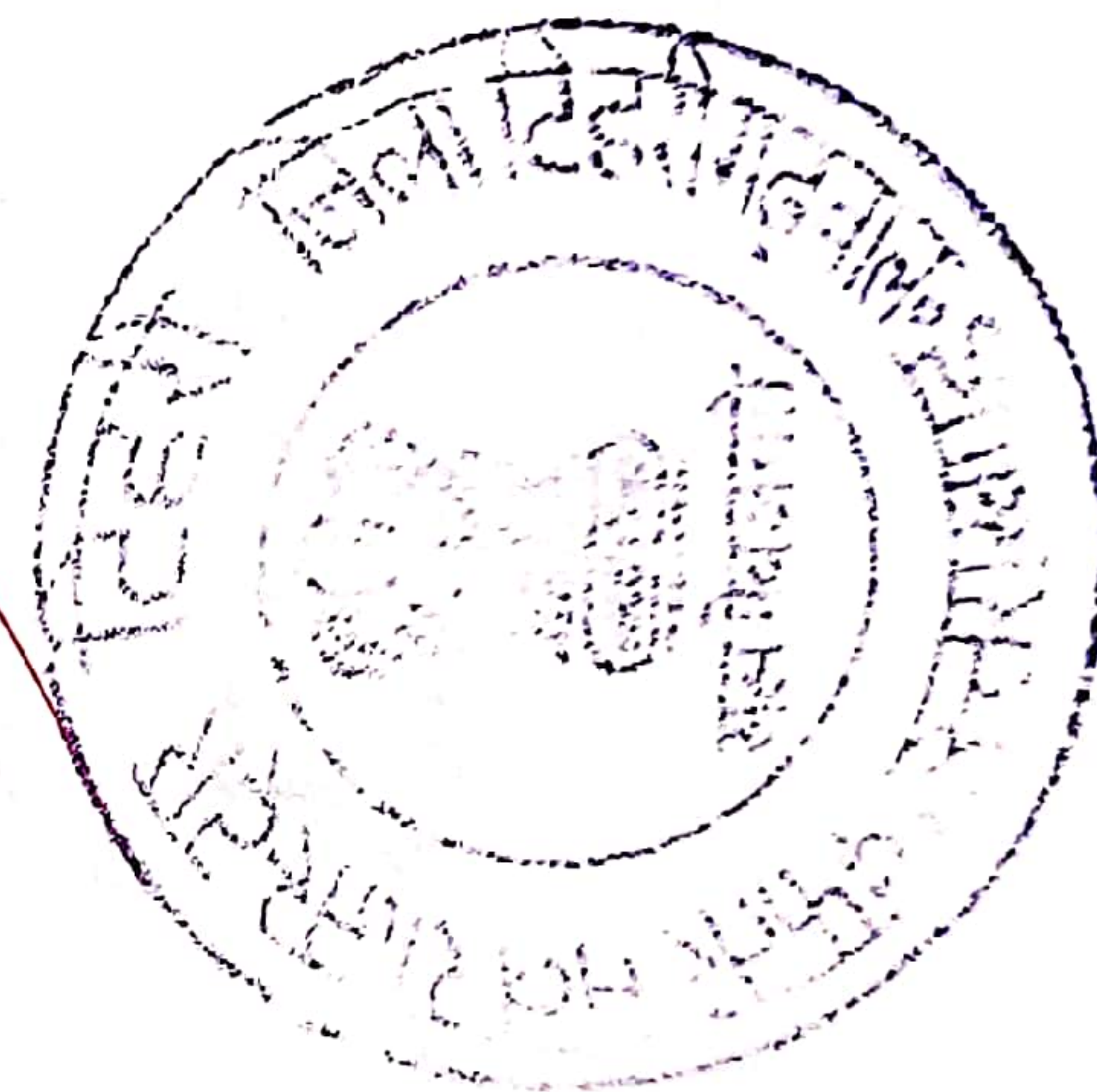


12. यह कि पट्टादाता एवं जगमोहन सिंह पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा जगमोहन सिंह को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं जगमोहन सिंह की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।
13. यह कि पट्टादाता एवं जगमोहन सिंह, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 31.07.2024 से प्रारम्भ होकर 30.07.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैध होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा जगमोहन सिंह पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं जगमोहन सिंह, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई हैं:-
पूर्व:- बीरबल सिंह की भूमि।
पश्चिम:- सूर्य प्रकाश की भूमि
उत्तर:- रामचन्द्र सिंह की भूमि।

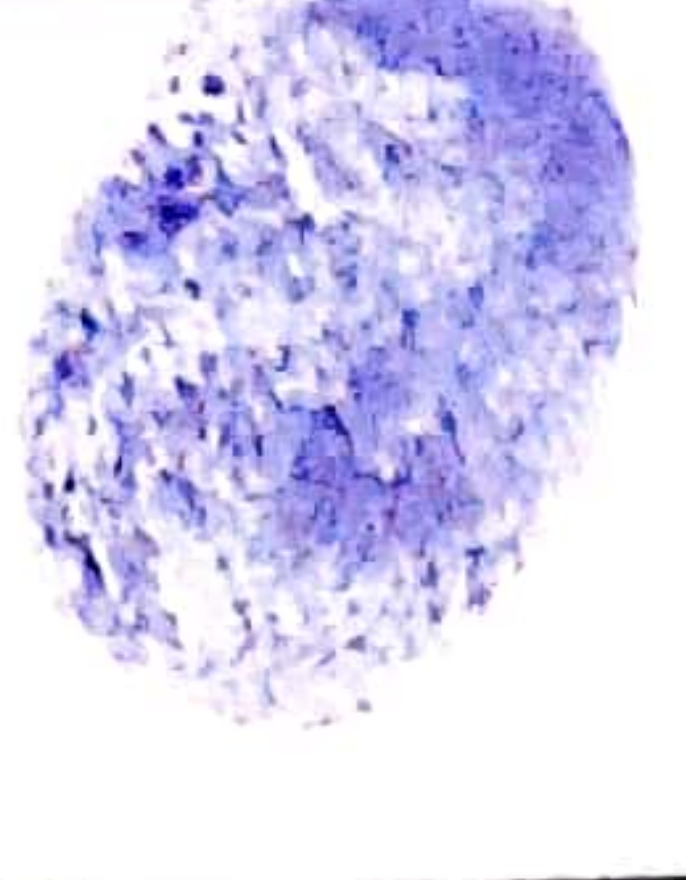
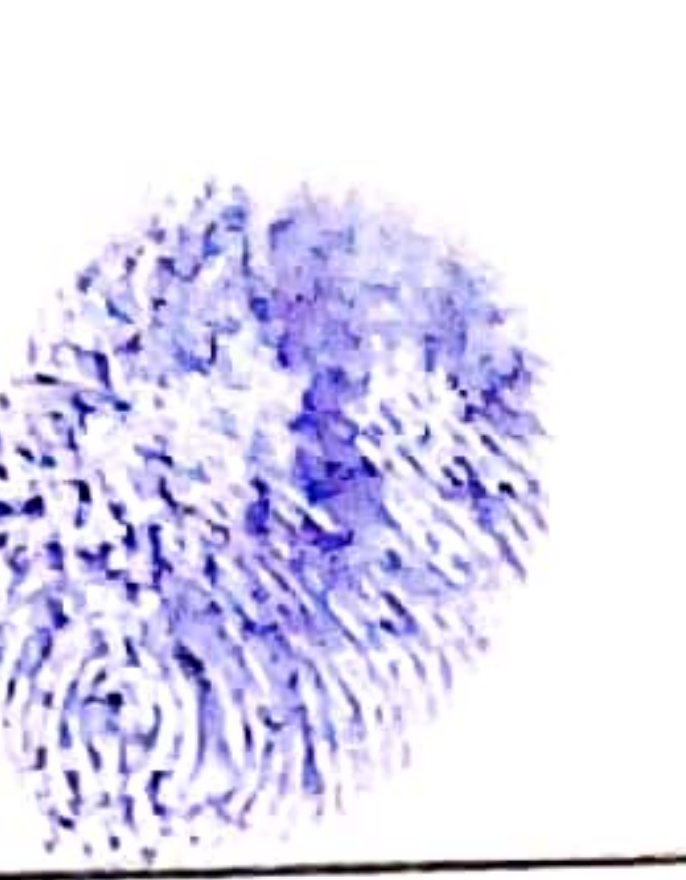
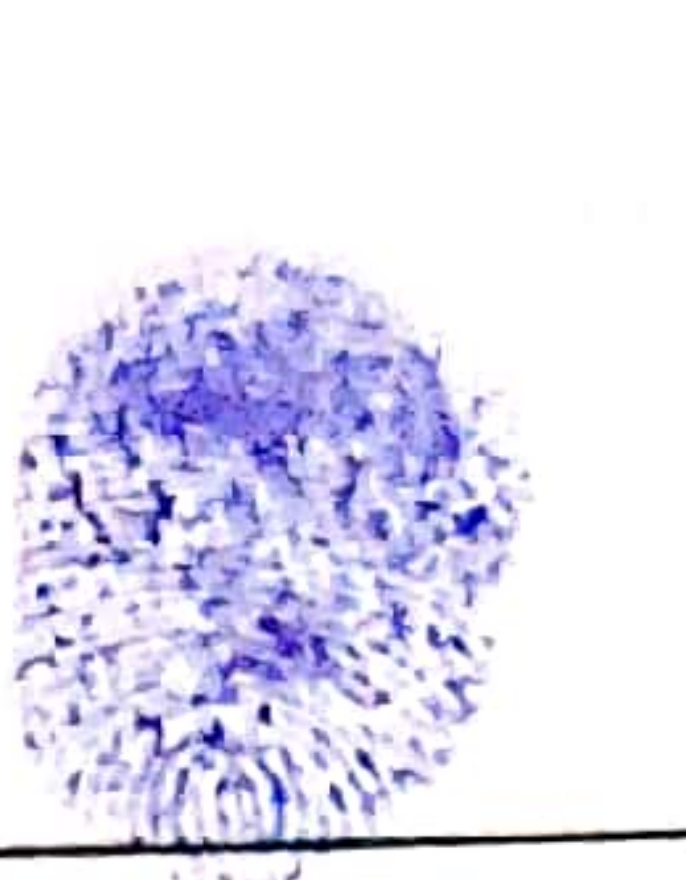
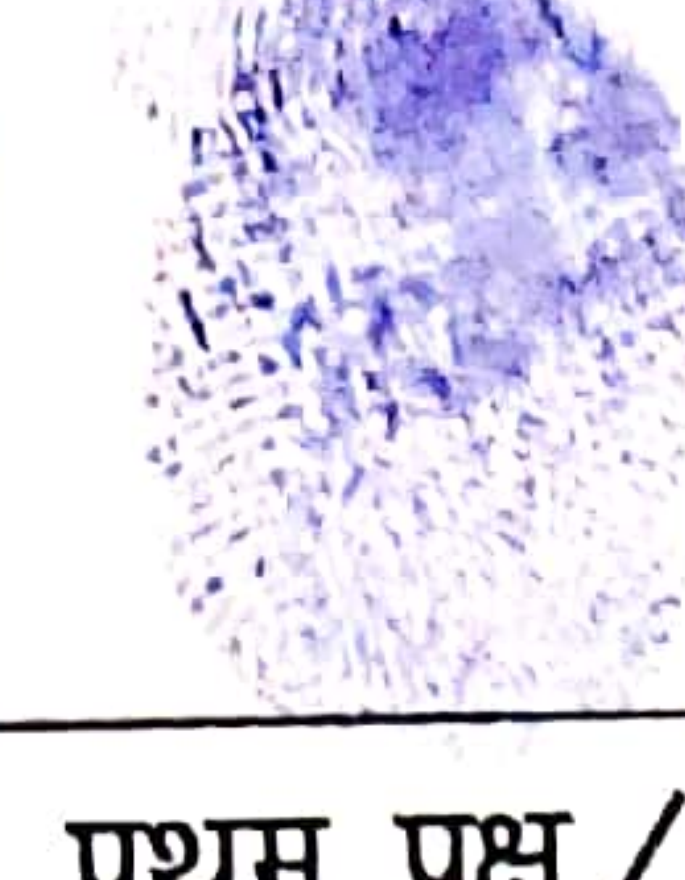
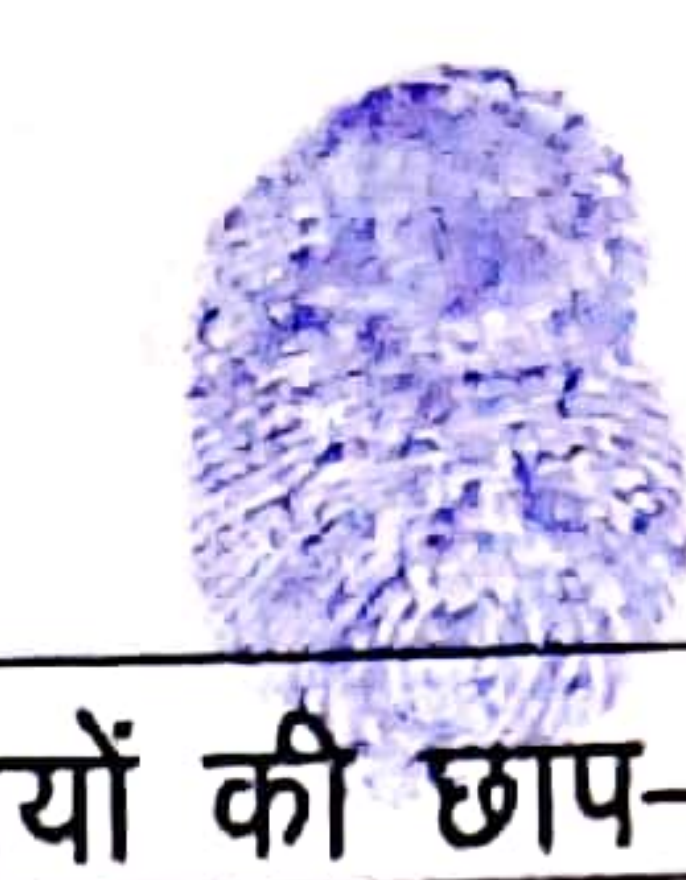
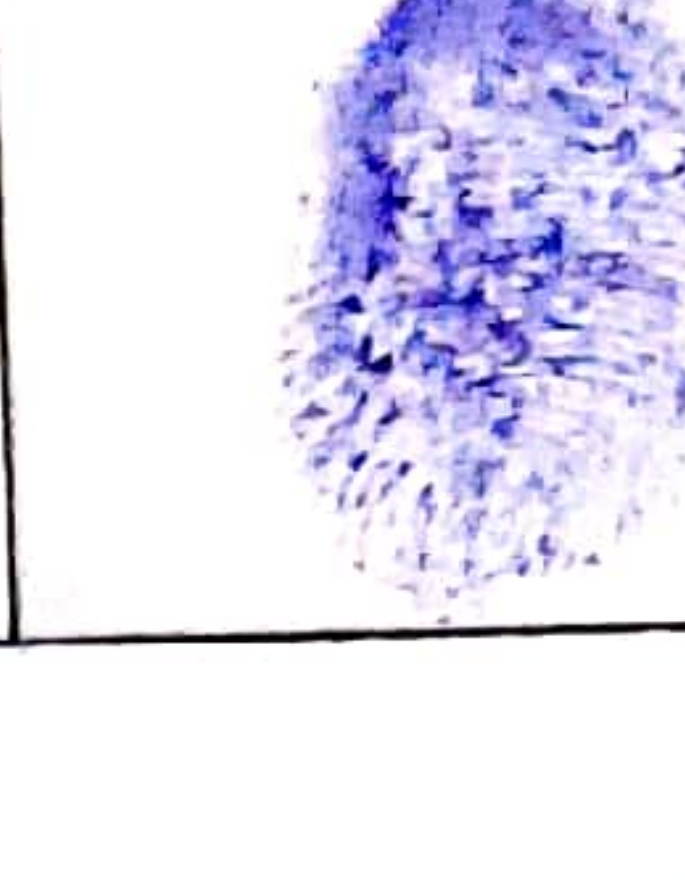
दक्षिण:- रास्ता।



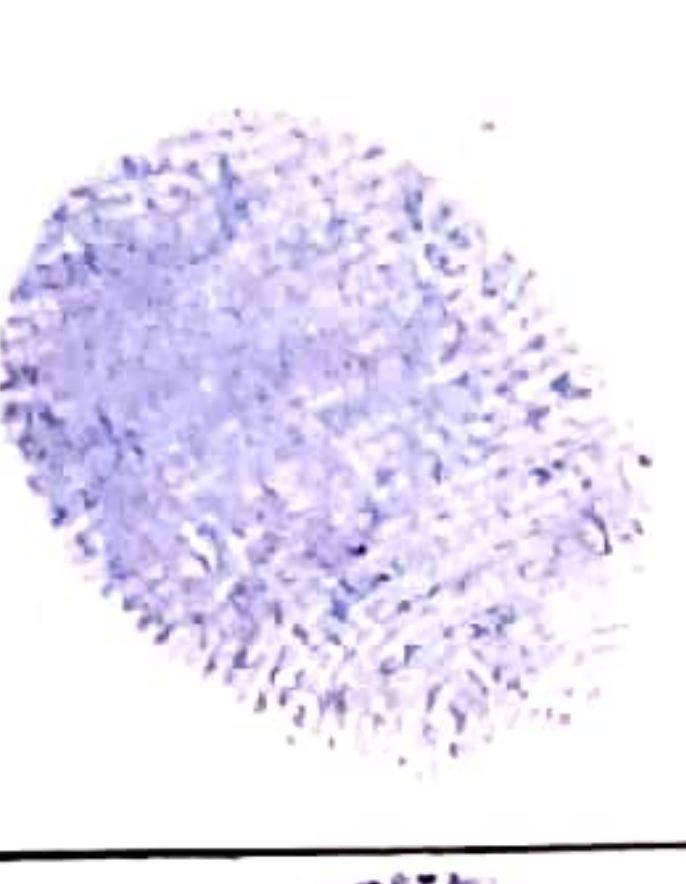
Handwritten signatures and text in Hindi, including 'सूर्य प्रकाश' and 'रामचन्द्र सिंह'.



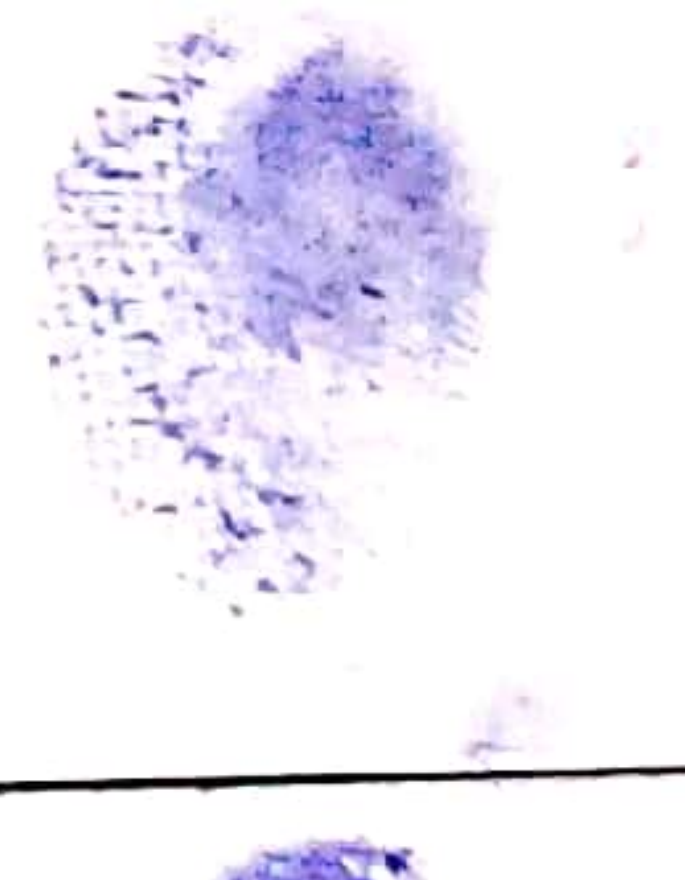
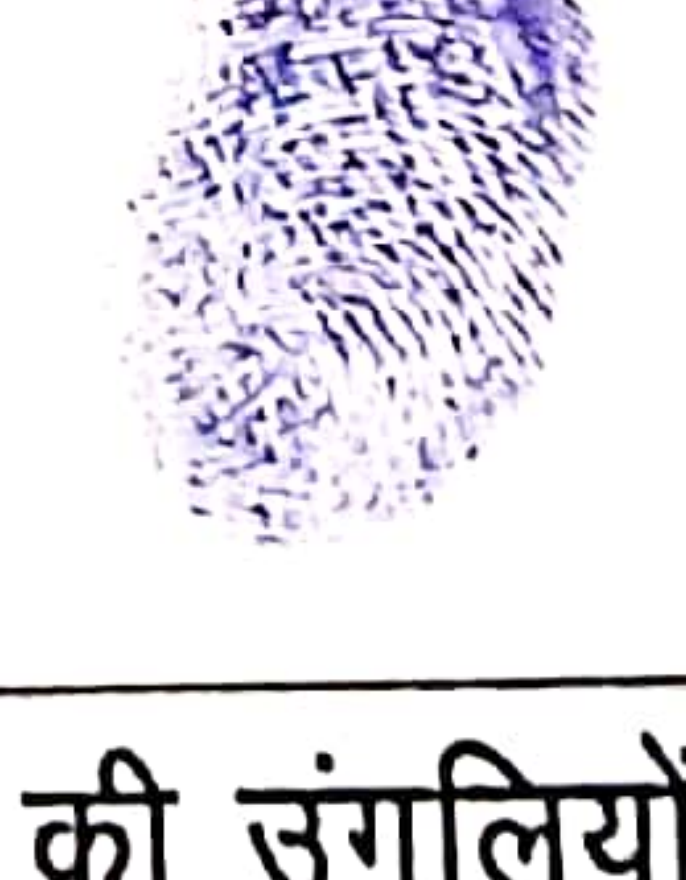
प्रथम पक्ष / पट्टा दाता (उमेद सिंह) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

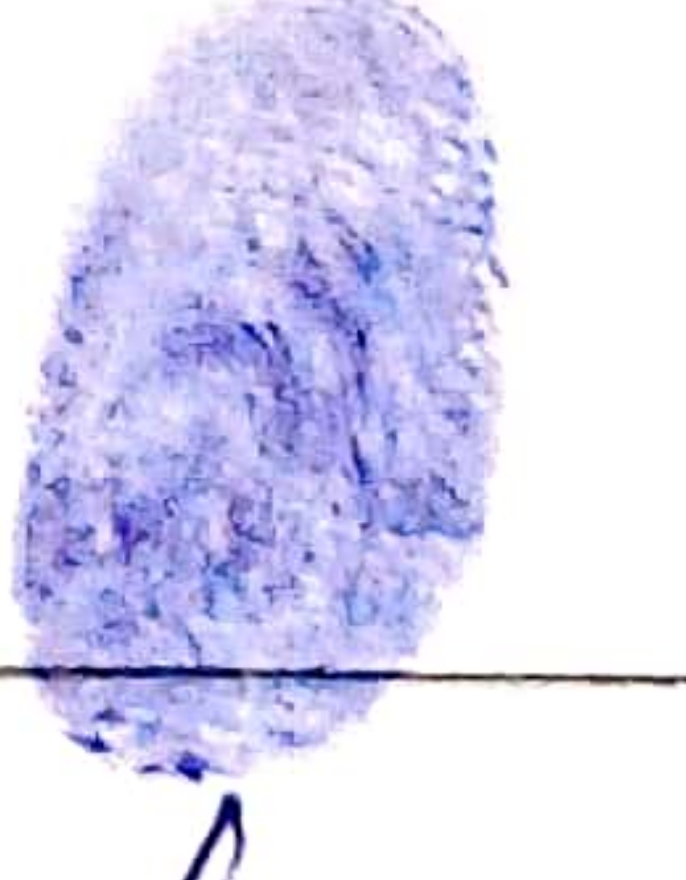
प्रथम पक्ष / पट्टा दाता (भगवान सिंह) की उंगलियों की छाप-

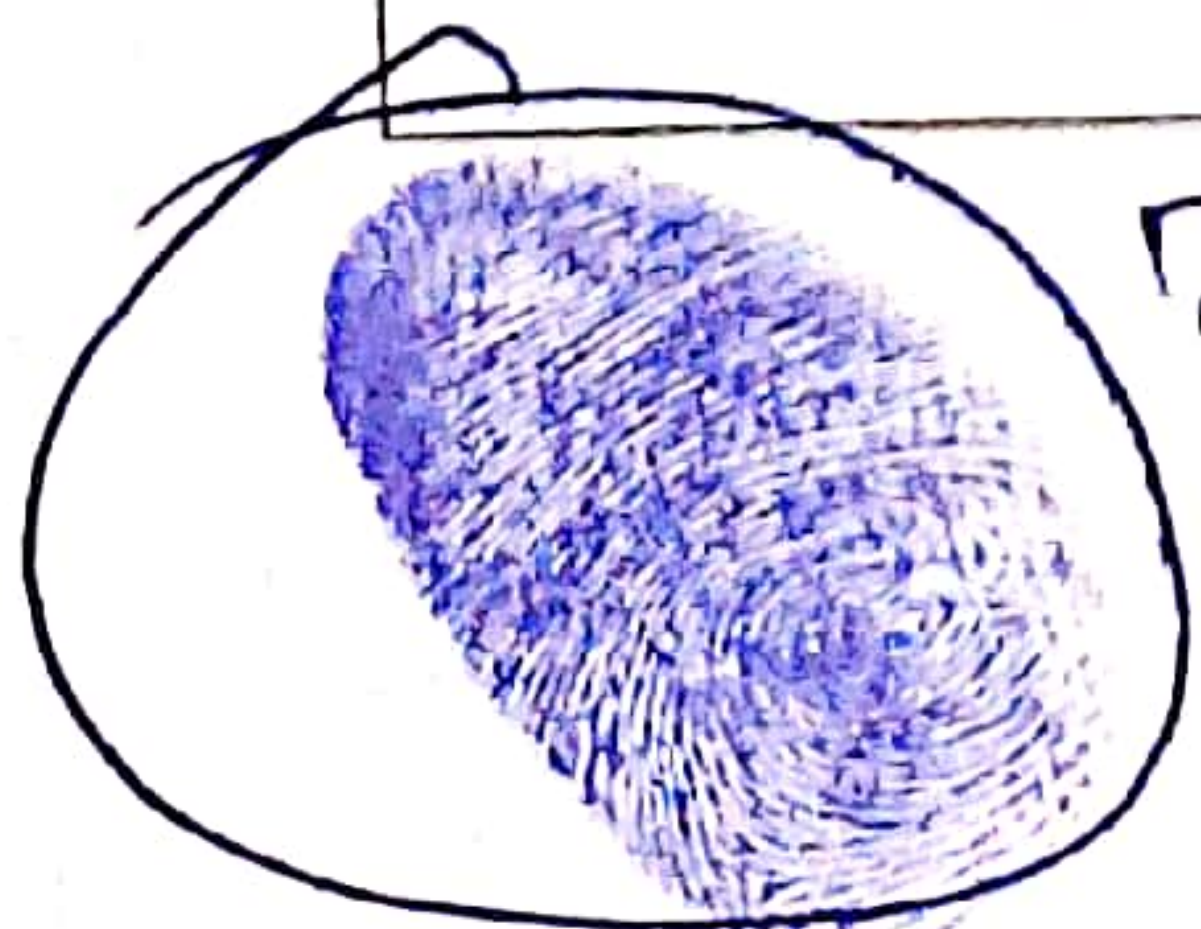
दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

प्रथम पक्ष / पट्टा दाता (श्रीमती सुरमा देवी) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

द्वितीय पक्ष / पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

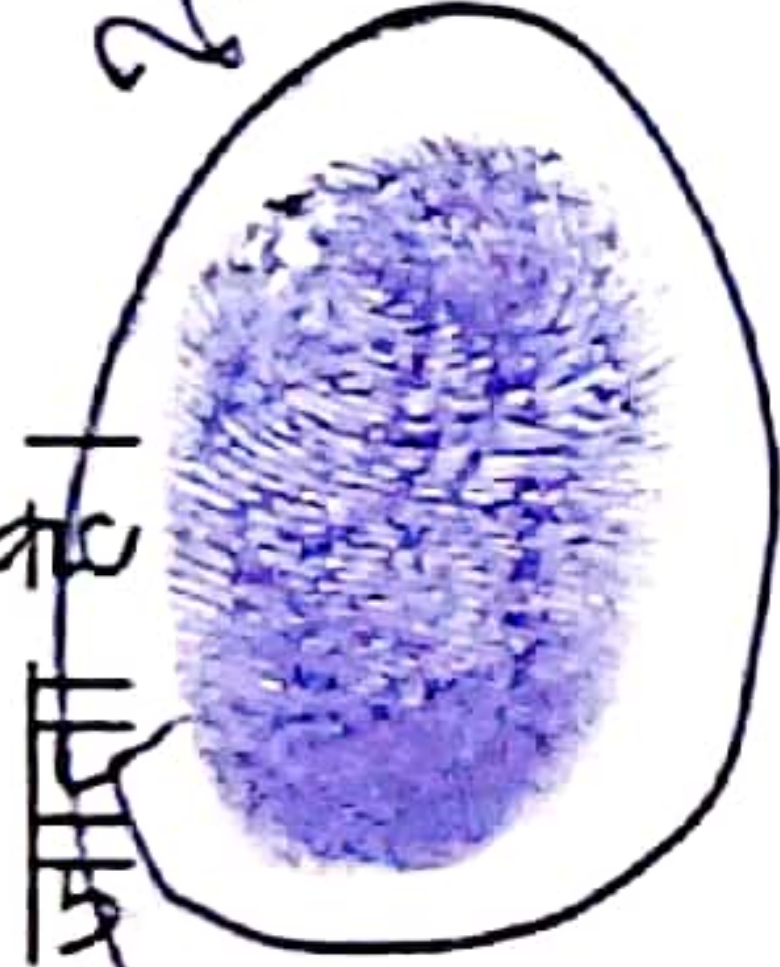


म. गे
जीरता
हस्ता ११

म. गे
म. गे



अतः आज दिनांक 31.07.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।



ह0 प्रथम पक्ष / पट्टादाता

ह0 द्वितीय पक्ष / पट्टेदार

विक्रम सिंह
विक्रम सिंह

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

एडवोकेट

देवेन्द्र सिंह दुमोगा,
एडवोकेट
चेम्बर नं0-05, मो. 9412076539
कोर्ट कम्पाउण्ड नई दिल्ली
पंजी-UK-2234/04, UP-1149/9

गवाह

विक्रम सिंह

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
आधार नं0-460529151389

Mob.9897501756

सुमित सेनी

2. सुमित सेनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-85, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

आधार नं0- 278921295430

Mob. 9675988009

बही संख्या 1 जिल्द 63 के पृष्ठ 321 से 348 पर क्रमांक 326 पर आज दिनांक

31 Jul 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Handwritten signature
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार
31 Jul 2024

